वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा

एम.जे.एम.सी. - 5
विश्व का समाचार जगत
(World Press)

विश्व का समाचार-जगत्- 3

पत्रकारिता एवं जनसंचार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
(Master of Journalism & Mass Communication)

विश्व का समाचार-जगत्

3

अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कानून
प्रेस परिषद

पत्रकारिता एवं जनसंचार
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

विश्व का समाचार- जगत्

3

पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति

* **प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा**
  कुलपति
  कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा
  (अध्यक्ष समिति)
* **प्रो. ए.के. बनर्जी**
  पूर्व-अध्यक्ष
  पत्रकारिता विभाग
  बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
  वाराणसी
* **डॉ. अब्दुल वहीद खान**
  निदेशक (विकास एवं प्रशिक्षण)
  कॉमनवेल्थ सेण्टर ऑफ लर्निंग 1285 ब्राइवे
  सूट 600, वैंकवर (कनाडा)
* **प्रो. जे.एस. यादव**
  भारतीय जनसंचार संस्थान
  नई दिल्ली
* **राधेश्याम शर्मा**
  पूर्व-महानिदेशक
  माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
  विश्वविद्यालय, भोपाल(म. प्र.)
* **डॉ. भंवर सुराणा**
  ब्यूरो चीफ/ विशेष संवाददाता
  दैनिक हिंदुस्तान
  जयपुर
* **डॉ. ओ.पी. केजरीवाल**
  निदेशक, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी
  तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली
* **डॉ. रमेश जैन**
  अध्यक्ष-जनसंचार विभाग
  कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
  (सचिव, समिति)

संयोजक

डॉ. रमेश जैन- अध्यक्ष, जनसंचार विभाग
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ-संपादक एवं भाषा-संपादक

पाठ-संपादक
डॉ. रमेश जैन
अध्यक्ष, जनसंचार विभाग
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

भाषा-संपादक
डॉ. विष्णु पंकज
वरिष्ठ साहित्यकार-पत्रकार
जयपुर

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

* डॉ. आर.वी. व्यास, कुलपति
* डॉ. एच.बी. नन्दवाना, विभागाध्यक्ष
* डॉ. पी.के. शर्मा, निदेशक, पा.सा.उ. एवं वि. विभाग

पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग

* योगेन्द्र गोयल
  सहायक उत्पादन अधिकारी

सर्वाधिकार सुरक्षित ! इस पाठ्यक्रम का कोई भी अंश कोटा खुला विश्वविद्यालय/ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना या मिम्योग्राफी(चक्रमुद) अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करना वर्जित है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाता रोड, कोटा से प्राप्त की जा सकती हैं।

पाठ लेखक

(1) प्रो. प्रदीप माथुर
भारतीय जनसंचार संस्थान
नई दिल्ली

(2) डॉ. अर्जुन तिवारी
अध्यक्ष, पत्रकारिता विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

(3) मुरली मनोहर मंजुल
वरिष्ठ जनसंचारकर्मी
जोधपुर

(4) गुलाब बत्रा
वरिष्ठ पत्रकार 'वार्ता' समाचार समिति
जयपुर

(5) डॉ. विष्णु पंकज
वरिष्ठ जनसंचारकर्मी
जयपुर

(6) जयदेव
वरिष्ठ जनसंचारकर्मी
जयपुर

(7) डॉ. रमेश जैन
जनसंचार विभाग
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

(8) रामकुमार
स्वतंत्र पत्रकार, लेखक
कोटा

अनुवाद

रामकुमार
स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, कोटा

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

एम. जे. एम. सी. -5

विश्व का समाचार जगत्

पाठ्यक्रम - पंचम

खण्ड- तृतीय

3

विश्व का समाचार जगत्

इकाई -7 एशिया में प्रेस कानून एवं प्रेस परिषद	8–29
इकाई -8 अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस कानून एवं प्रेस परिषद	30–41
इकाई 9 प्रेस की स्वतन्त्रता : अवधारणा एवं आकलन	42–57

खंड एवं इकाई परिचय

खंड परिचय

'विश्व का समाचार जगत' खंड - 3 आपके हाथों में है। प्रस्तुत खंड में तीन इकाइयां है। एशिया में प्रेस कानून एवं प्रेस परिषद, 2 अंतराष्ट्रीय प्रेस कानून एवं प्रेस परिषद 3 प्रेस की स्वतंत्रता एवं अवधारणा ।

ये तीनों इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कानून, प्रेस परिषद तथा प्रेस की स्वतंत्रता से संबुद्ध है और इनकी प्रामाणिक एवं तथ्यात्मक जानकारी आपको दे रही है।

इकाई परिचय

इकाई 7 'एशिया में प्रेस कानून, प्रेस परिषदों की है। इस इकाई में एशिया एक परिचय, अर्थ व्यवस्था एवं प्रेस स्वतंत्रता, एशिया में प्रेस स्वतंत्रता की अवधारणा, एशिया में प्रेस कानून, प्रेस परिषदों की भूमिका तथा प्रेस परिषदों का गठन आदि बिन्दुओं की विस्तृत विवेचना की गई है।

इकाई 8 'अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कानून एवं प्रेस परिषद' से संबुद्ध है। इसमें प्रेस कानूनों का एतिहासिक परिप्रेक्षय, प्रेस की स्वतंत्रता और सीमाएँ, प्रेस परिषदों के अधिकार तथा प्रेस परिषदों की आवश्यकता आदि के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त विश्व में प्रेस कानूनों में बनने के प्रक्रिया कैसे चली और इसका कैसे विकास हु आ इस संदर्भ में भी चर्चा की गई है।

इकाई 9 'प्रेस की स्वतंत्रता : अवधारणा एवं आकलन' की है। समाचारपत्रों की स्वतंत्रता के अन्तर्गत तीन विशेष बातें आतीं है।

1. पत्रों के अस्तित्व की स्वतंत्रता
2. किसी चीज को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता
3. किसी प्रकार के सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता।

आमतौर पर यही स्वीकार किया गया है कि समाचारपत्रों की स्वतंत्रता वहां है जहां तीनों प्रकार की स्वतंत्रता हो।

प्रस्तुत इकाई में प्रेस की स्वतंत्रता अवधारणा, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता तथा स्वायत्रयोत्तर भारत में प्रेस का आकलन आदि बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई है।

ये तीनों इकाइयां प्रेस परिषद, प्रेस कानून, तथा प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में आपको व्यापक ज्ञान देगी, ऐसी आशा की जाती है।

इकाई 7 एशिया में प्रेस कानून एवं प्रेस परिषद

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 एशिया: एक परिचय

7.3 अर्थव्यवस्था एवं प्रेस स्वतन्त्रता

7.4 एशिया में प्रेस स्वतन्त्रता

7.5 प्रेस स्वतन्त्रता की अवधारणाएं

7.6 एशिया में प्रेस कानून

7.6.1 दक्षिण एशिया के प्रेस कानून

7.6.2 दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रेस कानून

7.6.3 पूर्वी एशिया के प्रेस कानून

7.7 एशिया में प्रेस परिषदें

7.7.1 प्रेस परिषदों की भूमिका

7.7.2 प्रेस परिषदों का गठन

7.8 सारांश

7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.10 निबन्धात्मक प्रश्न

7.0 उद्देश्य

इससे पूर्व की इकाइयों में आपने एशिया में जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त की । प्रस्तुत इकाई 'एशिया में प्रेस कानून एवं प्रेस परिषद' की है ।

- इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप समझ सकेंगे कि एशिया. महाद्वीप में प्रेस एवं जनसंचार माध्यमों तथा राजनैतिक व्यवस्था का क्या सम्बन्ध है तथा किस प्रकार जनसंचार माध्यम राजनैतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं या जनमत को तैयार कर सकते हैं।
- आप यह भी विश्लेषण करने मे सक्षम होंगे कि एशिया महाद्वीप में राजनैतिक व्यवस्थाओं, उपनिवेशवाद एवं स्वतन्त्रता के किन -किन मोड़ों पर जनसंचार माध्यमों को जूझना पड़ा है?
- एशिया में प्रेस स्वतन्त्रता तथा उसकी अवधारणा के संदर्भ में अवगत होंगे ।
- आप परम्परागत जनसंचार माध्यमों एवं नई जनसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बीच अन्तर कर सकेंगे ।
- एशिया के विभिन्न देशों के प्रेस कानूनों एवं नियमों के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । इसके साथ ही एशिया में प्रेस परिषदों के गठन एवं उनकी भूमिका का ज्ञान भी प्राप्त होगा ।

7.1 प्रस्तावना

पिछली 4 से 7 इकाइयों में एशिया महाद्वीप के परम्परागत तीन भागों दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वी एशिया के 25 देशों के जनसंचार माध्यमों की दशा और दिशाओं के बारे में आप विस्तृत रूप से परिचित हो चुके हैं । इस प्रकार आप सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्वी(मिडिल ईस्ट) तथा विघटित सोवियत रूस के राज्यों को छोडकर एशिया महाद्वीप मे निवास करने वाली 55 प्रतिशत जनता की आशंकाओं को प्रतिबन्धित करने वाले जनसंचार माध्यमों, उनके विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उनकी. समस्याओं एवं प्रगति के भावी स्वरूप आदि के बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं ।

एशिया महाद्वीप के जिन देशों के जनसंचार माध्यमों की रीति-नीति से आप परिचित हो गये हैं उनमें ऐसे देशों की भी आप चर्चा कर सकते हैं जो स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रगतिशील हैं । इनमें हांगकांग ऐसा देश है जिसे 1997 में ब्रिटेन ने चीन को वापिस सौंपा । दूसरी स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था वाला देश मकाऊ है, जिसे पुर्तगाल ने दिसम्बर, 1999 में चीन को लौटाया । इन देशों के अलावा आप ताईवान के जनसंचार माध्यमों का भी अध्ययन कर चुके हैं। ताईवान चीन से अलग हुआ ऐसा प्रान्त है, जो एक स्वतन्त्र देश के रूप में विकासशील है ।

इन अलग-अलग देशों के बनते-बिगड़ते राजनैतिक समीकरणों एव राजनैतिक व्यवस्थाओं के बीच जनसंचार माध्यमों की स्वतन्त्रता को कम करने या उनकी आजादी का गला घोंटने की प्रक्रिया एवं सत्ता के नियन्त्रण को मजबूत बनाए रखने के लिए समाचारपत्रों की विकास प्रक्रिया अवरुद्ध की जाती है । जनसंचार माध्यमों के विकास के लिए प्रेस परिषदों की भूमिका एव अनुकूल कानूनों, नियमों की अनिवार्यता आदि प्रश्नों की तह में आप इस इकाई के माध्यम से जा सकेंगे ।

7.2 एशिया - एक परिचय

एशिया महाद्वीप के जिन 25 राष्ट्रों के जनसंचार माध्यमों की चर्चा पिछली तीन इकाइयों मे की गई है, उनमें अफगानिस्तान के जनसंचार माध्यमों को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि अफगानिस्तान का रिश्ता मिडिल ईस्ट के अधिक नजदीक है । दक्षिण एशिया के सात देशों को साऊथ एशियन एसोसिएशन फार रिजनल कार्पोरिशन(सार्क) के कारण सार्क देश भी कहते हैं । सार्क देशों की गिनती दुनिया के उन देशों मे की जाती है जिनकी आय बहुत कम है। मानव संसाधनों के विकास की दृष्टि से श्रीलंका, मालदीव, भारत और पाकिस्तान का दर्जा मध्यम है । बाकी दक्षिण एशिया के देश इस सन्दर्भ में निम्न वर्ग में माने जाते हैं । दक्षिण एशिया में सम्पूर्ण एशिया की आबादी के 40 प्रतिशत लोग रहते हैं । दक्षिण एशिया की कुल आबादी 1.3 बिलियन है ।

Asia : Demographic and Media Indicator

		Demogaphic Indicators				Media	Indication	Per	100	People
Country	GNP per capita	Population (in	Adult literacy	Urban Poputation %	Tertiary Enrollment as %	Daily newspaper	Redio receiver	TV receivers	Main tele	Internet hosts per

	in USS	millions)	rate		of age group	circulation			phone lines	10,000 January
	1998	**1998**	**1998**	**1998**	**1995**	**1996**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**
South Asia										
Maldives	1.167	0.3	92.6	32		1.8	12.2	3.9	6.58	4.00
Sri Lanka	827	19.0	23	5.1	2.9	21.0	9.2	2.84	0.29	
Pakistan	492	136.8	37.8	35	3.4	2.1	9.2	2.2	1.85	0.22
Bhutan	450	0.8	42.2	7	0.2		1.9	1.9	1.04	0.58
India	436	989.2	52.1	28	6.4	3.1	10.5	6.9	1.85	0.78
Bangladesh	289	130.0	38.1	20	6.1	0.9	5.0	0.7	0.26	0.000
Nepal	225	23.4	27.5	14	4.8	1.1	3.7	0.4	0.77	0.07
Southeast Asia										
Singapore	21,828	3.2	93.1	100	33.7	32.4	73.9	29.9	54.29	259.84
Brunel	20,400	0.3	89.2	67	6.6	6.9	3.0	41.7	24.68	38.98
Malaysia	3.092	22.7	93.7	56	11.0	16.3	43.2	16.6	19.49	30.21
Thailand	1.850	62.1	93.8	36	20.1	6.5	20.4	23.4	8.02	7.25
Philippines	907	74.7	94.0	57	27.9	8.2	15.9	10.6	2.87	3.00
Indonesia	460	207.7	84.4	38	11.3	2.3	15.5	9.7	2.70	1.97
Myanmar	765	48.8	82.0	27	5.7	1.0	8.9	0.7	0.48	0.00
Laos	258	5.3	56.6	22	16	0.4	13.9	0.4	0.55	0.00
Cambodia	270	10.9	37.8	22	1.6	0.1	12.7	12.3	0.18	0.06
Vietnam	310	79.4	91.9	21	4.1	0.4	10.6	18.0	2.07	0.00
East Asia										
Japan	33.340	126.5	100.00	79	41.4	58.0	95.7	70.6	47.86	133.64
Hangkong	24.716	6.	92.2	95	25.7	80.0	69.5	41.2	56.08	156.67
Macao	16.054	0.4	74.8	94	27.8	44.8	35.2	29.9	40.91	3.41
Taiwan	12.040	22.0	93.2	58	46.0		40.1	32.7	49.96	142.75
Korea (S)	6.810	46.9	97.4	84	52.0	39.4	103.7	34.2	44.40	60.47
Korea (N)	900	22.8	N/A	61		20.0	14.7	11.5	4.82	0.00
China	783	1.268.7	81.5	33	5.7	4.2	19.5	27.0	5.62	0.84
Mongolia	396	2.5	95.0	62	17.0	2.7	13.9	5.9	3.66	0.08
World	**5.180**	**5.820**	**78.0**	**46**						

दक्षिण पूर्वी एशिया मे 10 देशों का मंच एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन्स है । दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस एवं म्यांमार की कुल आबादी 14 करोड़, 20 लाख है तथा यह देश निम्न आय वर्ग की श्रेणी में आते हैं ! इसी भाग में

इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स एवं थाईलैण्ड की कुल आबादी 35 करोड़, 60 लाख है तथा यह निम्न मध्य आय वाले देश हैं । मलेशिया ही केवल ऐसा देश है जो उच्च मध्य आय समूह में शामिल है । ब्रुनेई, दारूसलम एवं सिंगापुर की आबादी मात्र 34 लाख है तथा यह उच्च आय वाले देशों में माने जाते हैं । साथ ही इन दोनों देशों में मानव संसाधन विकास का इन्डेक्स भी उच्च है । मलेशिया, थाईलैण्ड, फिलीपीन्स, इण्डोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार एवं कम्बोडिया मानव संसाधन विकास की दृष्टि से मध्यम दर्जे के देश हैं जबकि लाओस निम्न दर्जे में आता है । दक्षिण पूर्वी एशिया में 62 करोड 54 लाख आबादी है जो सम्पूर्ण एशिया की आबादी का 16 प्रतिशत है । पूर्वी एशिया में चार ऐसे देश हैं जापान, हांगकांग(एस.ए.आर.), दक्षिण कोरिया एवं ताईवान जिनकी अर्थव्यवस्था एशिया में सर्वाधिक समृद्ध है । पूर्वी एशिया की अधिकांश आबादी चीन में है जो निम्न -मध्य आय समूह में आता है । बाकी देश उच्च आय समूह में गिने जाते हैं । मानव संसाधन विकास की दृष्टि से चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया मध्यम दर्जे में तथा अन्य उच्च दर्जे में अंकित हैं । इस देश मैं एशिया की 45 प्रतिशत आबादी रहती है ।

7.3 अर्थव्यवस्था एवं प्रेस स्वतन्त्रता

एशिया महाद्वीपो के तीनों भागों के विभिन्न देशों का आर्थिक एवं मानव संसाधन विकास के संदर्भ मैं विश्लेषण का अभिप्राय यह देखना रहा है कि क्या किसी देश की आर्थिक दशा एवं मानव संसाधनो के विकास से जनसंचार या प्रेस की स्वतन्त्रता का कोई सीधा सम्बन्ध है ? लेकिन विभिन्न देशों के आर्थिक परिदृश्य को देखें तो ज्ञात होगा कि मालदीव, भूटान एवं पाकिस्तान(जहां 1999 से सेना के हाथों सत्ता आई) जैसे देशों के अलावा दक्षिण एशिया के निम्न आय वर्ग के देशों अर्थात् बंगलादेश, भारत, नेपाल एवं श्रीलंका मे दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्यम आय वर्ग के देशों से जनसंचार माध्यमों को अधिक स्वतन्त्रता है । लेकिन पूर्वी एशिया की उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था के देशों में प्रेस को अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्रता है । 1987 में सत्ता पलट के बाद दक्षिण कोरिया ने अपने आप को एक स्वतन्त्र एवं खुले जनसंचार माध्यमों वाले देश के रूप में परिवर्तित कर लिया । इस प्रकार 1988 में मार्शल लॉ खत्म होने के बाद ताईवान ने भी अपने जनसंचार माध्यमों एवं प्रेस को स्वतन्त्रता दे दी ।

7.4 एशिया में प्रेस स्वतन्त्रता

मानव अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र(यूनिवर्सल डिकलेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स) के अनुसार 'हर मनुष्य को मत प्रकट करने एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है, इस अधिकार में बिना किसी प्रकार की बाधा के स्वतन्त्र विचार करने, किसी भी प्रकार के जनसंचार माध्यम के द्वारा सूचना देना, सूचना प्राप्त करना एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता सम्मिलित है । ' लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि उक्त घोषणा पत्र के जारी होने के बाद अर्द्ध सदी गुजरने के पश्चात् भी इस अधिकार के व्यावहारिक क्रियान्वयन की दिशा मैं बहुत कुछ किया जाना शेष है।

एक विद्वान के अनुसार, 'जाहिर तौर पर, दुनिया के हर समाज में आजादी को विकास के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण माना एवं स्वीकार किया जाता है लेकिन कोई भी समाज पूर्ण आजादी की इजाजत नहीं देता । हर समाज में आजादी पर अंकुश हैं । अन्तर यह है कि कहीं बहुत

कम तो कहीं अधिक आजादी दिए जाने की व्यवस्थाएं हैं'! एक सर्वेक्षण के अनुसार नार्वे को प्रेस की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में 'पूर्ण स्वतन्त्रता' वाला देश माना गया है । सर्वेक्षण में मानवाधिकार घोषणा पत्र के आर्टिकल को आधार मानकर 'हर व्यक्ति' को पूरी आजादी के सन्दर्भ में विभिन्न देशों में प्रेस स्वतन्त्रता की स्थिति समाचार का आंकलन किया है । इसके लिए चार आधारभूत सूत्र काम में लिए गए हैं -

1. कानून एवं नियम की जनसंचार माध्यमों के प्रकाशित या प्रगट की जाने वाली सामग्री
2. माध्यमों पर राजनैतिक दबाव एवं नियन्त्रण
3. माध्यमों पर आर्थिक प्रभाव
4. दमनात्मक कार्यवाही

उपरोक्त आधार को लेकर एशिया के विभिन्न देशों की प्रेस या माध्यमों की स्वतन्त्रता के लिहाज से 'पूर्ण स्वतन्त्र', अंशतः स्वतन्त्र एवं 'स्वतन्त्र नहीं', इन तीन भागों में बांटा गया है। अलग-अलग देशों को सर्वेक्षण के मापदण्डो के सन्दर्भ में देखें तो एशिया के देशों में 'पूर्ण स्वतन्त्रता' के आदर्श के पर कोई भी देश इस श्रेणी मे नहीं आता हैं ।

Press Freedom Asia, 1999

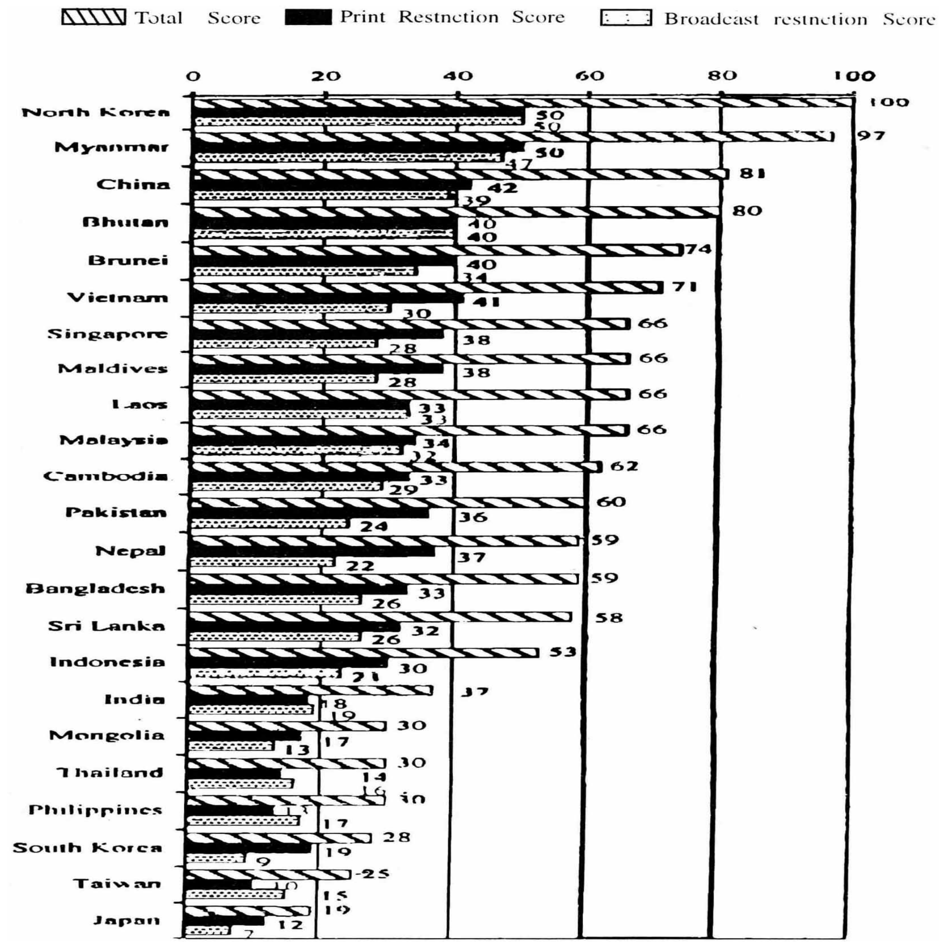

दक्षिण पूर्वी एशिया में दो देश -फिलीपीन्स एवं थाईलैण्ड, पूर्वी एशिया में जापान, ताईवान, दक्षिण कोरिया एवं मंगोलिया एवं दक्षिण एशिया में भारत, श्रीलंका, बंगलादेश एवं नेपाल को 'अंशतः स्वतन्त्र' प्रेस वाले देशों कीं श्रेणी में रखा गया है । पाकिस्तान में सैनिक शासन द्वारा चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटने से पूर्व, पाकिस्तान भी इस श्रेणी में था । हांगकांग एवं मकाऊ चीन के अन्तर्गत चले गए । जिन देशों को 'प्रेस स्वतन्त्रता नहीं' के वर्ग में रखा गया है, उनमें दक्षिण एशिया के मालदीव, भूटान तथा सत्ता पलट के बाद पाकिस्तान को रखा गया है । दक्षिण पूर्वी एशिया में कम्बोडिया, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रूनेई एवं म्यांमार तथा पूर्वी एशिया में चीन एवं उत्तरी कोरिया की गिनती उन देशों में की गई है जहां प्रेस को आजादी नहीं है । फ्रीडम हाऊस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रेस की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में एशिया महाद्वीप की स्थिति चिन्ताजनक है क्योंकि एशिया में कुल आबादी के 10.2 प्रतिशत अर्थात् 30 करोड़ 33 लाख लोगों को ही प्रेस स्वतन्त्रता प्राप्त है । एक अरब, 5 करोड़ अर्थात् 45.6 प्रतिशत आबादी' आंशिक रूप में' स्वतन्त्र है तथा एक अरब चार करोड़ अर्थात् 44.2 प्रतिशत एशिया में ऐसी आबादी है जिसे कोई प्रेस स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है ।

प्रेस में प्रकाशित सामग्री या 'मीडिया कन्टेक्ट' पर मालदीव, नेपाल एवं भूटान में सर्वाधिक कानूनी एवं नियमों का दबाव है अर्थात् इन देशों में राजनैतिक दबाव एवं नियन्त्रण 'उच्च बिन्दु' पर है । भारत ही एक ऐसा देश है जहां मुद्रित माध्यमों पर सरकार का कोई नियन्त्रण या दबाव नहीं है । बंगलादेश में मुद्रित माध्यमों पर तथा भूटान में प्रसारण माध्यमों पर आर्थिक दबाव अधिक है ।

प्रेस पर पाबंदी के चार सूत्रों के सन्दर्भ में दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार में प्रेस पर सर्वाधिक नियन्त्रण है । साम्यवादी वियतनाम की प्रेस पर पाबन्दियों से भी सख्त नियन्त्रण ब्रुनेई में माध्यमों की आजादी को समाप्त कर कानून एवं नियमों को कड़ा शिकंजा कसने के सन्दर्भ में म्यांमार, ब्रुनेई एवं वियतनाम की गिनती है । इसके बाद सिंगापुर एवं लाओस को रखा गया है । प्रसारण एवं मुद्रित माध्यमों पर राजनैतिक दबाव भी म्यांमार, ब्रुनेई, वियतनाम, कम्बोडिया एवं मलेशिया में सबसे ज्यादा है । लाओस और सिंगापुर की इसके बाद गिनती है ।

जहां तक आर्थिक प्रभावों का प्रश्न है, म्यांमार में प्रेस पर अधिक आर्थिक प्रभाव है । सिंगापुर, इण्डोनेशिया एव ब्रूनेई में मुद्रित माध्यम(समाचार पत्र) आर्थिक प्रभावों के शिकार है । दमनात्मक कार्यवाहियों के प्रसंग में म्यांमार एवं कम्बोडिया में मुद्रित माध्यमों को सर्वाधिक दमनात्मक कार्यवाहियां झेलनी पड़ती है । फिलीपीन्स एवं थाईलैण्ड की प्रेस को दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वाधिक आजादी प्राप्त प्रेस माना गया है ।

पूर्वी एशिया में कानूनों एवं नियमों तथा राजनैतिक दबाव द्वारा प्रेस की स्वतन्त्रता पर रोक के सन्दर्भ में उत्तरी कोरिया एवं चीन का पहला स्थान है ! यह दोनों इस क्षेत्र के साम्यवादी राष्ट्र हैं । आर्थिक प्रभाव एवं दमनात्मक कार्यवाहियों में उत्तरी कोरिया सबसे आगे हैं । मुद्रित माध्यमों पर दमनात्मक कार्यवाही चीन में सर्वाधिक है । दक्षिण कोरिया में प्रेस पर राजनैतिक दबाव अधिक है ।

7.5 प्रेस स्वतन्त्रता की अवधारणाएं

कुछ विद्वानों का मत है कि एशिया में प्रेस या जनसंचार माध्यमों की स्वतन्त्रता में जो बाधाएं है, उनका कारण पश्चिमी देशों की अवधारणाओं से हटकर एशिया के लोगों में स्वतन्त्रता की अलग अवधारणाओं का होना है । ऐसे में यह देखना होगा कि क्या एशियन अवधारणाएं मानवाधिकार घोषणा -पत्र के आर्टिकल 19 के विपरीत है ? मानवाधिकारों एवं स्वतन्त्रता की पश्चिमी अवधारणा का विस्तृत दायरा है जिसमें राज्य का यह दायित्व माना गया कि वह मानव अधिकारों की इसलिए रक्षा करे क्योंकि मानवाधिकारों का लक्ष्य, 'जनता की भलाई के लिए उनका आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है । 'लेकिन एशियन अवधारणा में प्रेस की स्वतन्त्रता को मात्र प्रेस और सरकार के बीच सामन्जस्य माना गया है । दक्षिण एशिया में पश्चिमी सम्प्रेषण(कम्यूनिकेशन) सिद्धान्तों से अधिक प्रभाव प्रेस प्रणालियों पर विभिन्न देशों के अपने दर्शन पर आधारित है । लेकिन एशिया की संस्कृति एवं परम्पराओं के सन्दर्भ में पश्चिमी प्रेस स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों को परखे तो ज्ञात होगा कि एशिया में पश्चिमी विचारों को नकारा नहीं गया है । अत: जो कुछ पश्चिम में श्रेष्ठ है उसे सामाजिक उत्कृष्टता के लिए स्वीकार करना चाहिए ।

स्वतन्त्र पत्रकारिता का एशियन मॉडल यह है कि प्रेस सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय सहमति तैयार करती है । इसके अन्तर्गत वे इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्र निर्माण के उपकरण के रूप में विकास प्रयासों का समर्थन करना चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ कि जनसंचार माध्यम इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके कार्य की जांच होनी चाहिए क्योंकि इतने महत्वपूर्ण उपकरण का दायित्व केवल पत्रकारों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता । यह एक प्रकार का उपनिवेशवादी सिद्धान्त है जिसको सिंगापुर के सम्पादकों ने यह कहकर नकार दिया कि प्रेस को चौथा "स्तम्भ" मानना 19वीं सदी का विचार है । विकासात्मक पत्रकारिता की धारणा में 'प्रेस-सरकार' के समन्वय की बात अन्तर्निहित है । लेकिन सूचनाओं के प्रसार में माध्यमों की चमत्कारिक भूमिका के सन्दर्भ में एक विचार यह भी सामने आता है कि सरकार द्वारा संचालित विकास गतिविधियों में संबंधित व्यक्तियों की भागीदारी के बिना जनसंचार भूमिका नगण्य होती है । इस प्रकार, सरकार और प्रेस के समन्वय का मॉडल प्रेस की भूमिका को गौण बना देता है और प्रेस मात्र सरकार के जनसंपर्क का एक अंग बन जाती है । ऐसा साम्यवादी प्रेस के मॉडल के समान यह मॉडल भी बन जाता है । इस समन्वय के दृष्टिकोण से प्रेस की विश्वसनीयता पर भी आंच आती है । लोग चाहें एशिया के हों या कहीं ओर के, वे उन जनसंचार माध्यमों पर विश्वास न करने की प्रवृत्ति रखते हैं जो सरकार के अति निकट है । एशिया में उपनिवेशवाद ने एक दूसरे से विपरीत राजनैतिक दलों की प्रणाली को विरासत में पाया है । ऐसे में, प्रेस स्वतन्त्रता का ढांचा भी इसी सिद्धान्त के अनुरूप बना है ।

पश्चिमी अवधारणा में तर्क, व्यक्ति के अधिकारों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अधिक मूल्य है । वहां यह धारणा है कि व्यक्ति का अस्तित्व सरकार की सेवा के लिए नहीं है बल्कि सरकार का अस्तित्व व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए है । इसलिए व्यक्ति को जीवित रहने का, स्वतन्त्रता का एवं खुशी प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का मौलिक अधिकार है । इस प्रकार

प्रेस स्वतन्त्रता का प्रारम्भिक बिन्दु - 'वह सबसे छोटी इकाई, विश्व व्यापी वह महत्वपूर्ण इकाई -व्यक्ति है' मानवाधिकार घोषणा पत्र के आर्टिकल 19 में भी इसी इकाई "हर व्यक्ति" का जिक्र है । व्यक्ति एक विचारवान् एवं सार्वभौमिक सत्ता के साथ अपने भाग्य का निर्माता है । यह व्यक्तिवाद, जनतान्त्रिक एवं स्वतन्त्र परम्परा है जिस पर पश्चिम राजनैतिक एवं प्रेस स्वतन्त्रता की अवधारणा टिकी हुई है । जबकि एशियन समाज में "सामाजिक सामंजस्य" के लिए सम्मिलित कर्त्तव्यों एवं दायित्वों पर बल दिया गया है । इस प्रकार प्रेस स्वतन्त्रता के विचार आर्टिकल के सन्दर्भ में एक प्रकार का अमूर्त विचार है । ऐसे में, एशिया में जनसंचार माध्यमों को कितनी स्वतन्त्रता प्राप्त है? इस प्रश्न को चार सूत्रों के परिप्रेक्ष्य में परखा गया है । यह देखा गया है कि प्रेस स्वतन्त्रता के मार्ग में आर्थिक बाधाएं, दमनात्मक कार्यवाही, कानूनी बाधाएं एवं राजनैतिक नियन्त्रण आदि की क्या स्थिति है? सम्मिलित अधिकार के रूप में बोलने की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता, सूचना की स्वतन्त्रता एवं एक जगह एकत्रित होने की आजादी आदि को मानवाधिकारों की प्राप्ति माना गया हे ।

यह सम्मिलित रूप से सम्प्रेषण का तरीका बौद्ध, हिन्दु, कन्फूशियस या इस्लाम धर्मों के दर्शन से मेल खाता है । इसके साथ ही 'व्यक्तिवाद' भी इसकी नींव में मौजूद है । बौद्ध धर्म की हीनयान दृष्टि में व्यक्ति के कार्यों एवं दायित्व पर अधिक बल दिया गया है । इस प्रकार सामूहिक या सम्मिलित तथा व्यक्ति की अवधारणा दोनों में सम्प्रेषण(कम्यूनिकेशन) के अधिकार को प्रेस स्वतन्त्रता का प्रमुख अंग माना गया है । अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या राजनैतिक एवं आर्थिक दबावों एव दमनात्मक कार्यवाहियों के साथ सामाजिक सांमजस्य बनाए रखना या सामूहिक अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना सम्भव है? ऐसे में एशियन दृष्टि में प्रेस की स्वतन्त्रता को आघात पहुंचाने वाली चारों बाधाओं को दूर करना आवश्यक माना गया है ।

जो लोग यह मानते हैं कि जनतन्त्र में नागरिकों को एकदम स्वच्छन्द होने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है, वे प्रेस के अधिनायकवादी या साम्यवादी स्वरूप को भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि इन राजनैतिक व्यवस्थाओं में बुद्धिमत्त कुछेक लोगों का एकाधिकार बन जाती है तथा सत्य का निर्णय सत्ता के हाथों तय होता है । ऐसे लोग प्रेस के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता को भी अच्छा नहीं मानते क्योंकि एक स्थिर देश में सम्पूर्ण आजादी का अर्थ अव्यवस्थाओं का निर्माण कर सकती है । अत: कुछ लोग सामाजिक दायित्व से पूर्ण प्रतिस्पर्द्धात्मक शालीन एवं जिम्मेदार प्रेस की वकालत करते हैं । समाज के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ प्रेस की पूर्ण स्वतन्त्रता की बात की जाती है ।

दरअसल, एशिया में प्रेस स्वतन्त्रता की अवधारणा के सन्दर्भ में विचारों की विभिन्नता है । प्रेस स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में एकमत नहीं है । कुछ देशों में पश्चिमी मॉडल को बेहतर माना तो कुछ देश मुक्त प्रेस के मॉडल का अनुसरण करते हैं । लम्बी अवधि के उपनिवेशवाद, पूर्ण स्वतन्त्रता या जनतंत्र, धार्मिक, जातिगत विभिन्नताओं आदि की ऐसे कारण है जो एशिया में प्रेस स्वतन्त्रता की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है । ऐतिहासिक कारणों से अलग - अलग देशों का अलग- अलग यथार्थ है । प्रेस स्वतन्त्रता का पश्चिमी मापदंड, जो कि बहुत

अधिक अमूर्त विचार है, इन समाजों में आवश्यक नहीं माना जाता । एशियन अवधारणाएं भी अमूर्त और भिन्न-भिन्न हैं । ऐसे में, प्रेस स्वतन्त्रता की पश्चिमी अवधारणा का एशियन अवधारणा स्थान लेने में असफल हुई है क्योंकि वह भी स्पष्टत: प्रेस स्वतन्त्र अवधारणा तय नहीं कर सकी ।

एक मत यह भी है कि प्रेस स्वतन्त्रता की एशियन दृष्टि एक विचार है जो पश्चिमी माध्यमों की संस्कृति एव मूल्यों के एकाधिकार से राष्ट्रीय पहचान की रक्षा करे । संस्कृति की विशेषताओं को बचाकर रखे । मुक्त व्यापार से देशों की सीमाएं टूट गई हैं । अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां टेलीविजन जैसे माध्यमों के आकाशीय हमलों से पश्चिमी संस्कृति को थोप रहे या साइबर स्पेस से यह हो रहा है । एशियन मूल्य प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास में है ।

7.6 एशिया में प्रेस कानून

7.6.1 दक्षिण एशिया के प्रेस कानून

प्रेस की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में दक्षिण एशिया के देशों में उन नियमों को परखा जाए तो यह व्यक्त होगा कि श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल एवं पाकिस्तान में प्रेस को "आशिक स्वतन्त्रता" के रूप में रखा गया है । मालदीव एवं भूटान में प्रेस को स्वतन्त्रता नहीं है । इन सभी देशों में प्रसार पर राजनैतिक दबाव एव नियंत्रण अधिक है । भारत में राजनैतिक एवं नागरिक अधिकारों के सुधार कारण भारत का स्थान "स्वतन्त्र प्रेस" के वर्ग में आता है । रेडियो एवं दूरदर्शन 80 प्रतिशत आजादी तक समाचारों का प्रसारण है । वे सरकार के नियन्त्रण में है। इसके अलावा भारत की बहुभाषी प्रेस विशाल है ।

श्रीलंका में 1998 में सरकार एवं तमिलों के बीच संघर्ष के कारण सेन्सरशिप लगने से स्वतन्त्र प्रेस को धक्का लगा । बंगलादेश में 1861 से अब तक प्रेस पर अंकुश लगाने वाले 28 कानून हैं । राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जन-व्यवस्था तथा नरेश की अवमानना के सन्दर्भ में वहां के संविधान मे समाचारों पर रोक है । मालदीव के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की गारन्टी है बशर्ते यह 'शरियत' कानूनों के अनुरूप हो । सरकार समाचारपत्र बन्द कर सकती है । रेडियो एवं टेलीविजन सरकारी नियन्त्रण में है । भूटान में विकास को प्रोत्साहन देने वाले एक टूल के रूप में माध्यमों की भूमिका है । बंगलादेश के प्रेस सम्बन्धी कानूनों की वही स्थित है जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी कानूनों के भीतर है । 1947 में पाकिस्तान बनने तथा 1971 में बंगलादेश का निर्माण होने के बाद भी इन कानूनों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया । बंगलादेश के संविधान में आर्टिकल 39(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का प्रावधान इस शर्त के साथ है कि सरकार को यह अधिकार होगा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा. व्यवस्था, शालीनता एवं नैतिकता, अदालत की अवमानना आदि के सन्दर्भ में स्वतन्त्रता के अधिकार पर अंकुश लगा सके । इस संवैधानिक प्रावधान के अलावा कुल 23 कानून एवं नियम ऐसे हैं जौ जनसंचार माध्यमों को स्वतन्त्रतापूर्वक काम नहीं करने देते । इनमें प्रिंटिंग प्रेसेज एण्ड पब्लिकेशन(डिक्लेरेशन एण्ड रजिस्ट्रेशन) एक्ट 1973, दी स्पेशल पावर्स एक्ट 1974, दी कोड

ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1898, पेनल कोड 1860, आफिसियल सीक्रेट एक्ट 1926 आदि है । स्पेशल पावर्स एक्ट 1974 नागरिकों के मौलिक अधिकारों को चुनौती देता हैं !

उक्त विभिन्न कानूनों के द्वारा प्रेस की आवाज को दबाना सम्भव है । कुछ संशोधन भी इनमें हुए हैं । लेकिन क्रिमिनल प्रोसिजर एण्ड पेनल कोड्स में संशोधनों के बावजूद प्रेस की स्वतन्त्रता के पर काटने की पूरी व्यवस्था है और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आदि के बारे में लिखने पर 'डिफेमेशन' में कड़ी सजाए भी पत्रकारों को दी गईं । समय-समय पर विभिन्न संशोधनों के बावजूद बंगलादेश के कानूनों की प्रवृत्ति प्रेस की आजादी को कम करने की तरफ है । इस काम में 'स्पेशल पावर्स एक्ट' का ज्यादा प्रभाव है । प्रिन्टिंग प्रेसेज एण्ड पब्लिकेशन(डिक्लेरेशन एण्ड रजिस्ट्रेशन) एक्ट 1973 भी सरकार की इस मंशा को प्रगट करता है कि समाचारपत्रों के प्रकाशन को सीमित रखा जाए । भूटान में जनसंचार माध्यमों के नियमन के लिए कोई स्पष्ट नियमों या कानूनों का ढांचा नहीं है । 1992 तक कम्यूनिकेशन एवं इन्फोर्मेशन विभाग संचालन का कार्य करता था । सरकार का रुख माध्यमों को विकास कार्यों में प्रोत्साहन देने के वाला मात्र एक टूल समझता रहा है । सरकार की नीति आधुनिकता एवं परम्परा के बीच सन्तुलन बनाए रखने की है । शाही आदेश 1992 के तहत भूटानी माध्यमों के व्यावसायिक स्तर के विकास के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से माध्यमों सरकार के नियन्त्रण से अलग किया गया. लेकिन उनके लिए समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन करना अनिवार्य है।

भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की गारन्टी इसी पर आधारित की गई है । भारतीय संविधान की धारा 19(1)(ए) में जो अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की गारन्टी का प्रावधान है, वहीं प्रेस की स्वतन्त्रता पर लागू होता है । क्लॉज(2) में सार्वजनिक व्यवस्था विदेशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्धों एवं अपराधों को उकसाने जैसे मसलों के सन्दर्भ में उक्त अधिकार को व्यवहार में प्रयुक्त करने पर: जो रोक है, वह संविधान के अन्तर्गत है तथा उनकी न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है ।

अमेरिका एवं इंग्लैण्ड की तरह सर्वोच्च न्यायालय स्वतन्त्रतापूर्वक इन संवैधानिक प्रावधानों की स्थापना कर सकता है । समाचार अभिव्यक्ति के अधिकार के सन्दर्भ में यदि कोई पाबन्दी जो प्रेस पर गैर आर्थिक ढंग से लागू की गई हो, उसे सर्वोच्च न्यायालय समाप्त कर सकता है । प्रेस की स्वतन्त्रता पर कोई भी पाबन्दी आर्टिकल(19) के 'क्लॉज '(2) एवं(6) के अनुसार ही हो सकती है । पत्रकारिता को सीधे प्रभावित करने वाली तथा इन दो 'क्लाजेज' से जो सम्बन्धित न हो, ऐसी पाबन्दियां को सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक करार दे सकता है । ये अधिकार व्यक्तियों को है, न कि संस्थागत । इस प्रकार पत्रकारों की स्थिति भारतीय प्रणाली में 'विशिष्ट व्यक्तियों' जैसी न होकर आम भारतीय नागरिकों की तरह है । गैर नागरिकों को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं । प्रेस को प्रभावित करने वाले कानून इस प्रकार हैं -

1. अपराध कानून(क्रिमिनल लॉ) -इण्डियन पैनल कोड की धारा 144 सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के सन्दर्भ में है । इसमें 153(ए) किसी वर्ग के विरुद्ध घृणा फैलाने, अश्लीलता फैलाने(292), चरित्र हनन(499), सार्वजनिक बुराई(मिश्चिफ) के खिलाफ(505) लागू होती है जो प्रेस पर भी लागू है ।

2. 1971 कन्टेम्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट यह ऐसे प्रकाशन पर लागू होता है जो 'अदालत के अधिकार को कम करने, उसकी अवमानना करने या न्याय प्रक्रिया में बाधा डालता है ।
3. प्रेस एवं विधायक के सम्बन्ध में नियमों के प्रावधानों के साथ ऐसे नियम जो सदन के अध्यक्ष को अधिकार देते हैं । सदन के विशेषाधिकार एवं कार्यवाही के प्रकाशन के बारे में सदन के अध्यक्ष को विशेष अधिकार हैं ।
4. 1923 इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अनुसार ऐसा स्कैच, प्लान और नोट एकत्रित करना या प्रकाशित करना जिसे राज्य का शत्रु प्रयुक्त कर सके, दण्डनीय है ।
5. 1954 का ड्रग्ज एण्ड मेडिकल रेमेडिज(ऑब्जेक्शेनेबल एडवरटाईजमेन्ट्स) एक्ट घातक विज्ञापनों के सन्दर्भ में लागू हैं!
6. 1867 प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के अन्तर्गत हर पुस्तक या समाचारपत्र की प्रति पर लेखक/संपादक, मुद्रक, प्रकाशक आदि के नाम एवं विवरण का प्रावधान है ।
7. 1898 इण्डियन पोस्ट ऑफिस एक्ट में अश्लील एवं अवांछनीय सामग्री के प्रसारण को नियमन किया गया है ।

इसके अलावा भी कुछ कानून एवं नियम हैं जो प्रेस के सम्बंध में देश में लागू होते हैं। प्रसारण के क्षेत्र में अधिकतम स्वायत्तता एवं सूचना पाने के अधिकारों आदि के कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहे समाज एवं मुक्त अर्थव्यवस्था के बीच अधिकाधिक प्रेस की स्वतन्त्रता की ओर देश को उन्मुख कर रहे हैं ।

मालदीव में प्रेस का संचालन एवं नियमन इस्लामिक प्रकृति के समाज के अनुरूप है । मौखिक एवं लिखित रूप में बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की संविधान में गारन्टी तो दी गई है लेकिन इसकी सीमा यह है कि यह स्वतन्त्रता शरियत कानूनों का उल्लघंन नहीं कर सकती । वहां इस्लाम के सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई स्वतन्त्रता नहीं है । साथ ही संविधान के 13 व 14 आर्टिकल में जो स्वतन्त्रता का प्रावधान है, उसे देश के तीन ऐसे कानून हैं जो सीमित करते !

नेपाल में 9 नवम्बर, 1991 को लागू संविधान की धारा 12(ए) विचारों एवं अभिव्यक्ति की गारन्टी देता है तथा धारा 13 में नागरिकों के प्रेस एवं प्रकाशन अधिकार का विशेष उल्लेख है । लेकिन एक सदी पुरानी नेपाल की प्रेस के सम्बन्ध में जो भी समय-समय पर कानून और नियम बनाए गए उनका लक्ष्य प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाना रहा । प्रेस एण्ड पब्लिकेशन पर लागू किया गया यह कानून सरकार और प्रेस के बीच के सम्बन्धों को सुधारने में असमर्थ रहे ।

पाकिस्तान के संविधान के अध्याय -एक में बीस मौलिक अधिकारों एवं आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतन्त्रता की गारन्टी तो दी गई है लेकिन इन शर्तों के साथ - 'हर नागरिक को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार होगा बशर्ते इस्लाम की शान, पाकिस्तान की एकजुटता, सुरक्षा. आदि के हित में लागू कानूनों का पालन किया जाए' । ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, दी सिक्यूरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट एव मेन्टिनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर आर्डिनेन्स का

इस्तेमाल सरकार द्वारा किस समाचार संस्था यह पत्रकारों को दण्डित करने के लिए कर सकती हैं ।

श्रीलंका में भी प्रेस की स्वतन्त्रता की गारन्टी का संवैधानिक प्रावधान है लेकिन कानून के इतने अधिक ऐसे प्रावधान है जो प्रेस की आजादी पर नकारात्मक प्रभाव डालकर उसे सीमित करते हैं । श्रीलंका प्रेस कौंसिल लॉ 1973 एवं एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स ऑफ सिलोन लॉ(स्पेशल प्रोविजन्स) लॉ 1973 के द्वारा प्रेस की आजादी को बहुत सीमित किया गया । एल.टी.टी. द्वारा जातीय संघर्ष जारी रखने आदि ने ऐसे कानूनों को आपातकालीन स्थितियों की तरह कायम रखने में मदद की है । प्रेस के सम्बन्ध में न्यूज पेपर्स आर्डिनेन्स 1939, प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स आर्डिनेन्स 1885, प्रिटिंग प्रेसेज आर्डिनन्स 1902, पब्लिकेशन आर्डिनेन्स 1927 आदि लागू हैं । टी.वी. एवं रेडियो श्रीलंका ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन एक्ट 1982 एवं अन्य कानूनों के तहत काम करते हैं ।

7.6.2 दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रेस कानून

दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपीन्स एवं थाईलैंड की प्रेस स्वतन्त्र है । वियतनाम, ब्रुनई तथा म्यांमार में कोई स्वतन्त्रता नहीं है । इण्डोनेशिया में हालात परिवर्तन के संकेत देते हैं । ब्रुनेई दारुसलम में लोकल न्यूज पेपर्स अन्डीजायरेबल पब्लिकेशन एक्ट, सेडिशन एक्ट, इन्टरनल सिक्यूरिटी एक्ट एवं पैनल कोड जैसे ऐसे छह कानून है जो प्रेस को प्रभावित करते हैं । लोकल न्यूजपेपर्स एक्ट 1958 को 1984 में संशोधित किया गया । यदि किसी समाचारपत्र में ऐसी सामग्री या प्रकाशन कर दिया जाए जो किसी को अपराध करने की ओर उकसाने या किसी गैर कानूनी समाज का समर्थन करे तो समाचारपत्र का प्रकाशन बन्द करने का प्रावधान भी है । प्रसारण सेवा के नियन्त्रण के लिए इमरजेन्सी(ब्राडकास्टिंग) आर्डर 1997 में विभिन्न नियमों का प्रावधान है । ब्राडकास्टिंग लाईसेंसिंग की व्यवस्था है ।

कम्बोडिया के 1993 के संविधान की धारा 41 में प्रेस एवं प्रकाशन की स्वतन्त्रता की गारन्टी में कहा गया है कि इस अधिकार का प्रयोग किसी की आजादी के अधिकार का उल्लघंन नहीं करेगा । समाज की अन्धी परम्पराओं, सार्वजनिक कानून तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को गति पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा । नेशनल एसेम्बली ने जुलाई, 1995 में प्रेस के लिए एक कानून बनाया । इससे पत्रकार संघों के सूचना के स्रोत की गोपनीयता रखने, सरकारी कार्यवाहियों के प्रकाशन एवं सरकारी रिकार्ड देखने आदि के प्रेस को अधिकार दिए गए । लेकिन राजनैतिक उथल-पुथल से प्रेस स्वतन्त्रता के कानून प्रभावित होने की प्रक्रिया जारी रही ।

इण्डोनेशिया में प्रेस एक्ट 21 ऑफ 1982 के सिद्धान्तों के अनुसार संचालन में है । संविधान में प्रेस स्वतन्त्रता का प्रावधान है लेकिन प्रेस एक्ट कई बार संशोधित हुआ । क्रिमीनल कोड में शत्रुता बढ़ाने, घृणा फैलाने आदि से सम्बन्धित सामग्री के प्रकाशन को अपराध ठहराया गया ।

लाओस में प्रेस के लिए कोई औपचारिक कानून नहीं है । अगर स्वयं ही पत्रकारों को अपने काम में पाबन्दी का पालन करना पड़ता है । सरकारी अधिकारियों को मालूम है कि

उनकी स्थिति क्या है और पत्रकारों को इस बात का अनुभव हो गया है कि वे क्या 'कवर' कर सकते हैं और क्या नहीं ? उन्हें सरकार या उसकी नीति की आलोचना करते समय सावधान रहना पड़ता है ।

मलेशिया में सरकार की प्रेस नीति सम्बन्धी को प्रकाशित कानूनी ढांचा जनसंचार माध्यमों के नियमन के लिए कानूनों एवं अध्यादेश के 42 मद हैं । इनमें मुख्य प्रिन्टिंग प्रेसेज एण्ड पब्लिकेशन एक्ट 1984 है । इसे 1987 में संशोधित किया गया जिसके तहत समाचार के प्रकाशन, वितरण आदि के लिए गृहमंत्रालय से अनुज्ञा लेनी होती है । 'ऑफिसियल सिक्रेट' वर्ग में आती है, उसका प्रकाशन करने पर सजा का प्रावधान है । वहां प्रेस को स्वतन्त्रता नहीं है ।

म्यांमार में प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1962 को प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया । इसके तहत समाचार या पत्रिका प्रकाशन के लिए सूचना मन्त्रालय से लाईसेन्स लेना अनिवार्य कर दिया गया है । वहां समाचारपत्र प्रकाशन के बाट 20-30 प्रतियां प्रेस स्क्रूटनी बोर्ड को प्रस्तुत करनी पड़ती है ।

फिलीपीन्स में संविधान में यह व्यवस्था है कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता कम करने के लिए कोई कानून पारित नहीं किया जाएगा । प्रेस को नियन्त्रित करने के लिए तीन संस्थाएं हैं । फिलीपीन्स प्रेस इन्स्टीट्यूट की प्रेस कौंसिल, नेशनल प्रेस क्लब की 'एथिक्स कमेटी' एवं सेन्टर फोर 'मीडिया फ्रीडम एण्ड रेसपोन्सीबिलिटी' । इन तीनों संस्थाओं का कोई कानूनी आधार नहीं है ।

सिंगापुर में प्रेस एक कानूनी व्यवस्था के तहत काम करती है । सिंगापुर के संविधान की धारा 14 के अन्तर्गत बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है । यह भारतीय संविधान के मॉडल पर आधारित है । उपनिवेशवादी शासन के प्रिन्टिंग प्रेसेज एक्ट 1920 के आधार पर न्यूजपेपर्स एण्ड प्रिन्टिंग प्रेसेज एक्ट 1974 बना । स्थानीय प्रिन्टिंग प्रेसों एवं विदेशी समन्वयक पत्रों को इसके अन्तर्गत लाइसेंस लेना होता है । लेकिन सिंगापुर में प्रेस कानूनों की समीक्षा की नियमित व्यवस्था है । सूचना के स्वतन्त्र प्रवाह को रोकने के लिए यहां कानून नहीं बनते ।

थाईलैंड में प्रेस कानूनों का इतिहास वहां के स्वतन्त्रता के इतिहास से सम्बद्ध है । कई उतार-चढ़ाव के दौर रहे हैं । जनसंचार माध्यमों की स्वतन्त्रता राजनैतिक वातावरण पर निर्भर है। प्रेस एक्ट 1941, कॉपी राईट एक्ट 1994, क्रिमिनल कोड 1934 तथा पोनोग्रफिक मेट्रियल एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिसियल सिक्रेट एक्ट, प्रवेन्शन ऑफ कम्यूनिस्ट एक्टिविटीज एक्ट आदि कानूनों के तहत माध्यमों का संचालन होता है । कानूनों द्वारा किसी भी प्रकाशन की सामग्री को संचार करना या लाइसेंस खत्म करने का प्रकाशन को अधिकार हैं।

पूर्व डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नार्थ वियतनाम के आधार पर एकीकृत वियतनाम का संविधान बना । इसमें बोलने एवं प्रेस की स्वतन्त्रता का प्रावधान है । लेकिन साथ ही यह कहा गया है कि यह स्वतन्त्रता जन क्रान्ति के हितों की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए । 1993 में पब्लिशिंग कानून बना । पार्टी कल्चर प्रोग्राम इन नार्थ वियतनाम प्रेस लॉ 1980, जिसे 1998 में और संशोधित कर सख्त बनाया गया ।

7.6.3 पूर्वी एशिया के प्रेस कानून

दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ देशों सहित पूर्वी एशिया दक्षिण एशिया की अपेक्षा आधुनिक सूचना युग में प्रवेश करने की दृष्टि से बेहतर रूप से तैयारी में है । आधुनिक इन्टरनेट प्रौद्यगिकी दृष्टि से जापान, हांकांग एवं ताईवान विश्व में आधुनिक प्रौद्योगिकी में अग्रसर देशों में इसके करीब है । उत्तरी कोरिया ही एक ऐसा देश है जहां प्रेस पर पूर्ण अंकुश है। इसके बाद चीन है, जहां जनसंचार माध्यमों पर आर्थिक प्रभाव के दृष्टि से ही नियन्त्रण में ढील है । चीन के प्रशासन वाले हांकांग एवं मकाऊ में प्रेस अर्द्ध स्वतन्त्र है । जापान, ताईवान, दक्षिण कोरिया एवं मलेशिया प्रेस की पूर्ण स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में पूर्वी एशिया में सबसे आगे हैं।

चीन में आर्थिक उदारीकरण की नीति ने जनसंचार माध्यमों में भी परिवर्तन की प्रक्रिया जारी की है । चीन के 1982 के संविधान में भी अधिकारों की आर्टिकल 35 में गारन्टी दी गई है । इसमें प्रेस, विरोध प्रदर्शन, संगठन बनाने, एकत्रित होने आदि की स्वतन्त्रता का उल्लेख है। सिविल लॉ के आर्टिकल 94 में भी नागरिकों को अभिव्यक्ति एवं प्रकाशन का अधिकार दिया गया है । लेकिन व्यवहार में अन्य कानूनी प्रावधानों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य के हित एवं साम्यवादी दल को प्राथमिकता आदि की आड में स्वतन्त्रता के अधिकारों को गौण बना दिया गया है ।

आर्टिकल 51 के अनुसार चीन के नागरिक अपने स्वतन्त्रता के अधिकारों का उपयोग करते समय राज्य के हितों को कम नहीं कर सकते । समाज एवं सामूहिक कानूनी स्वतन्त्रता के अधिकारों की उपेक्षा नहीं कर सकते । इसी प्रकार आर्टिकल 53 एवं 54 में भी ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिनमें प्रेस की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाने की व्यवस्था है । इसके अलावा चीन में सरकार जनसंचार माध्यमों को सरकार की एक शाखा मानती है । इसलिए जनसंचार माध्यमों या प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए कोई कानून बनाने की सरकार आवश्यकता ही नहीं समझती है । चीन की साम्यवादी पार्टी के निर्देशन ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय किसी कानून के । वहां 'पार्टी पत्रकारिता' या 'पार्टी सिद्धान्त' प्रमुख है । इसका तात्पर्य यह है कि प्रेस पर पार्टी का वर्चस्व है। प्रेस की स्वतन्त्रता, सत्यता, समाचार मूल्य आदि को पार्टी के सिद्धान्तों की दृष्टि से गौण माना जाता है । प्रेस स्वतन्त्रता की धारणा को बर्जवा माना जाता है । पार्टी के सिद्धान्तों पर कायम रहना ही सत्यता है ।

हांगकांग में प्रशासनिक एवं राजनैतिक दृष्टि से तो प्रेस आंशिक रूप से स्वतन्त्र है, लेकिन वहां के समाज में व्यावसायिक दृष्टिकोण है । अत: स्वतन्त्रता की अवधारणाएं भी पूंजीवादी है । 1997 में चीन के अधिकार में आने के बाद भी प्रेस की आवाज दबाई नहीं गई है । यह बात अलग है कि यह प्रकृति कब तक कायम रह सकेगी? परम्परागत रूप से पत्रकारिता एक व्यावसायिक उद्यम रहा है । 1997 से पूर्व सरकार ने प्रेस को छूट दे रखी थी कि वह अपने ढंग से संचालन के लिए स्वतन्त्र है, बशर्ते उसकी स्वतन्त्रता सामाजिक स्थायित्व एवं उपनिवेशवादी शासन के लिए कोई खतरा उत्पल न करे । सरकार का प्रेस पर सीधा कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया है ।

नियन्त्रण के लिए कोई संस्था नहीं है । मकाऊ अब चीन के अधिकार में है । वहां चीनी समाचारपत्र बीजिंग से जुड़े रहे हैं । यहां प्रेस का ढांचा सरल है । पुर्तगाल के शासन में सरकार का प्रेस में कोई हस्तक्षेप नहीं था । सरकारी सूचना सेवाएं नियामक का काम करती थीं, क्योंकि प्रेस में अधिकांश झुकाव साम्यवादी रहा है । अत: 1999 में चीन का अंग बनने के बाद कोई खास परिवर्तन नहीं आया है ।

दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद मित्र राष्ट्रों ने युद्ध पूर्व के प्रेस पर पाबन्दी लगाने वाले कानूनों को बदल दिया था । इसके बाद जापान के संविधान के आर्कटिक 21 में अमेरिका के सहयोग के साथ यह उल्लेख किया गया कि "किसी प्रकार की सेन्सरशिप कायम नहीं रखी जाएगी तथा कम्यूनिकेशन की गोपनीयता का उल्लघंन नहीं किया जाएगा । "फिर भी, क्रिमीनल कोड के आर्टिकल 175 में अश्लील सामग्री का प्रकाशन दंडनीय है । कस्ममूस् स्टेण्डर्ड लॉ में अश्लील सामग्री पर रोक है । इसके अलावा कॉपीराईट एकाधिकार के विरुद्ध भी कानून बने हुए हैं ।

जापान में 1950 के ब्राडकास्टिंग लॉ के द्वारा इलेक्ट्रोनिक माध्यमों का संचालन होता है । ये कानून रेडियो तरंगों इकाई 7 का निष्पक्ष एवं सम्पूर्ण उपयोग जनकल्याण के लिए करने की प्रेरणा देने के लिए बनाए गए । 1970 का केबल टेलीविजन लक्ष्य टी.वी. प्रसारणों के नियमन के लिए किया गया । साथ ही रेडियो प्रसारणों के नियमन के पीछे ये कारण भी है कि रेडियो प्रसारणों का सर्वाधिक प्रभाव आम जनता पर पड़ता है । प्रसारण कानूनों का लक्ष्य अधिकांशत: रेडियो के परिषद संचालन एवं तकनीकी पक्षों एवं आवश्यक होने पर रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए लाईसेन्स देने आदि के नियमन से होता है ।

उत्तरी कोरिया के संशोधित 1998 के संविधान की धारा 67 में कहा गया है कि "नागरिकों को बोलने, एकत्रित होने संगठन बनाने, प्रदर्शन करने तथा प्रेस की स्वतन्त्रता की गारन्टी है । "लेकिन यह गारन्टी उस सीमा तक है जहां तक यह स्वतन्त्रता समाजवाद के निर्माण में मदद करे । उत्तरी कोरिया में आमतौर से प्रेस लॉ बने हुए नहीं है, क्योंकि प्रेस को सरकार का एक अंग माना गया है । लेकिन क्रिमिनल लॉ एवं अन्य कानून अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस पर लागू होते हैं । लेकिन ये अप्रत्यक्ष कानून प्रेस के लिए कोई बाधाएं नहीं हैं । यह स्थिति इसलिए भी है कि कानून का पालन करने वाले तन्त्र और प्रेस के बीच किसी प्रकार के द्वन्द्व की गुंजाइस ही नहीं है । वहां साम्यवादी सिद्धान्तों वाला जीवन है ।सब प्रकार की सूचनाओं पर सरकार का नियन्त्रण है । उत्तरी कोरिया की नीति चीन की तरह की है ।

दक्षिण कोरिया की प्रेस के सामने नैतिक एवं कानूनी मुद्दे अधिक हैं । दक्षिण कोरिया में 1987 के रजिस्ट्रेशन एवं पीरियोडिकल्स एक्ट तथा ब्राडकास्ट एक्ट के स्थान पर 1980 में बेसिक प्रेस एक्ट बना । यही प्रेस के वर्तमान कानूनी ढांचे का आधार है । कुल मिलाकर दक्षिण कोरियाई प्रेस स्वतन्त्र है । मंगोलिया के 1992 के संविधान के अध्याय 2 में मानवाधिकारों एवं स्वतन्त्रता की गारन्टी दी गई है । आर्टिकल 16 में विचार स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतन्त्रता एवं शान्त प्रदर्शनों की स्वतन्त्रता का उल्लेख है । संविधान में सूचना पाने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है । 1998 में संसद ने जनसंचार माध्यमों की

स्वतन्त्रता के लिए कानून पारित किया । जनसंचार माध्यमों की स्वतन्त्रता एवं जनतांत्रिक प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए यह कानून पास किया गया था । रेडियो टेलीविजन एवं समाचारपत्रों को सरकार के नियन्त्रण से मुक्त करने की दिशा में संसद ने जनवरी, 1999 में 'फ्रीडम ऑफ प्रेस एण्ड इकोरमेशन लॉ' पारित किया ।

संविधान के आर्टिकल 11 में ताईवान में 'भाषण, शिक्षा, लेखन एवं प्रकाशन' की स्वतन्त्रता दी गई है । लेकिन आर्टिकल 23 में इस स्वतन्त्रता पर कई शर्त लगा दी गई हैं । पब्लिकेशन लॉ 1970 ,संशोधित 1937, 1932, 1958 एवं 1973 के तहत समाचारपत्र प्रकाशित करने के लिए लाईसेन्स लेना होता है । यह सरकार को यह अधिकार भी देता है कि समाचारपत्र के प्रकाशन के बाद भी उसे सेन्सर किया जा सकता है । लेकिन ऐसे मौके नहीं आए कि सरकार को समाचार पत्र के छपने के बाद सेन्सरसिप लगानी पड़े । ताईवान में आजादी की आवाज उठाना चीन या साम्यवाद की
प्रशंसा करना या राष्ट्रपति की आलोचना करना सख्त मना है । यह बात सरकार ने स्पष्ट कर रखी है ।

7.7 एशिया में प्रेस परिषद

बंगलादेश में प्रेस कौंसिल एक्ट 1974 के सेक्शन 11(2) के अन्तर्गत प्रेस कौंसिल को प्रेस की स्वतन्त्रता कायम रखने तथा उनको अपनी स्वतन्त्रता एवं समाचारपत्रों के स्तर को बनाए रखने में मदद करने का कार्य सौंपा गया । पत्रकारों के लिए आचार संहिता का निर्माण का दायित्व भी दिया गया । लेकिन साथ ही प्रेस कौंसिल को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गैर जिम्मेदारी के साथ समाचारपत्रों द्वारा हनन भी न होने दे । प्रेस कौंसिल एक्ट में समाचारों की गोपनीयता के पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान भी है । लेकिन सरकार द्वार विधान में प्रेस को दी गई स्वतन्त्रता में सरकार के अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही का कौंसिल को अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है । प्रेस के खिलाफ किसी भी कार्यवाही के लिए भी प्रेस से मशविरे का कोई प्रावधान एक्ट में नहीं है ।

भूटान में ऐसी प्रेस कौंसिल की कोई व्यवस्था नहीं है । भारत में आजादी के तुरन्त बाद सरकार ने प्रेस को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रेस कमीशन, प्रेस कौंसिल एवं रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स की स्थापना की । 1952-54 में पहला प्रेस कमीशन बना जिसका लक्ष्य उन क्षेत्रों की जांच करना था जो प्रेस के कार्यों को प्रभावित करते हैं । साथ ही प्रेस की स्वतन्त्रता, पत्रकारों की कार्यदशा, न्यूजप्रिन्ट की आपूर्ति, सेन्सरशिप एवं पत्रकारों के आचरण आदि मुद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त करना था । कमीशन ने पत्रकारों की आचार संहिता, सूचना की आपूर्ति मे बाधाएं पर के लिए शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि मुद्दों को भी स्पर्श किया । दूसरा कमीशन एवं जनतांत्रिक समाज में प्रेस की भूमिका, सरकार और प्रेस के सम्बन्ध, सरकारी गोपनीयता कानून, अदालत की अवमानना तथा समाचारपत्र उद्योग की अर्थव्यवस्था जैसे गहरे मुद्दों की छानबीन की ।

7.7.2 प्रेस परिषदों का गठन

भारत में पत्रकारिता के स्वतन्त्र विकास के लिए 1966 में प्रेस कौंसिल ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई । इसका कार्य प्रेस का संरक्षण करने के साथ-साथ उसे दायित्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अग्रसर करना था । 1975 के समय आपातकाल के समय प्रेस कौंसिल को भंग कर दिया गया लेकिन प्रेस कौंसिल एक्ट 1978 के तहत इसकी पुन: स्थापना की गई ।

भारत में प्रेस कौंसिल में 28 सदस्य होते हैं इसका अध्यक्ष परम्परागत रूप में कोई अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है । संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष एवं कौंसिल द्वारा चुना गया एक सदस्य, कौंसिल के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं । प्रेस कौंसिल द्वारा प्रेस के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई की जाती है । सरकार के खिलाफ सुनवाई का अधिकार भी इसे प्राप्त है । यह प्रेस के विकास के लिए एक मंच का भी काम करती हैं । इस प्रकार समाचारपत्रों से उठे विचारों को सुलझाने में प्रेस कौंसिल एक्ट विकल्प का भी काम करती है । रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट(1867) को 1956 में संशोधित किया गया एव प्रेस रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थापित किया गया । इसका अस्तित्व प्रेस संबंधी आकड़े एकत्रित करना भी है ।

पाकिस्तान में प्रेस कौंसिल के गठन के लिए 1997 में सरकार के प्रतिनिधियों, समाचारपत्र मालिकों एवं सम्पादकों के बीच प्रेस कौंसिल एवं आचार संहिता के बारे में सर्वसम्मत सहमति नहीं हो सकी । सरकार ने 15 सदस्यीय प्रेस कौंसिल के गठन का प्रस्ताव रखा जिसे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नेलिस्ट ने इस आशंका के साथ अस्वीकार कर दिया कि प्रेस कौंसिल निर्माण के पीछे सरकार की मंशा प्रेस की आजादी पर और अधिक अंकुश लगाना हो सकती हैं।

श्रीलंका में प्रेस कौंसिल लॉ 1973 के द्वारा सात सदस्यीय प्रेस कौंसिल का गठन हु आ। इनमें छह सदस्य सरकार ने नियुक्त किए । सातवां सदस्य-सचिव भी सरकार के सूचना विभाग के निदेशक को बनाया गया । कौंसिल को प्रेस के खिलाफ शिकायतें सुनने के न्यायिक अधिकार भी दिए गये । प्रेस कौंसिल के गठन का लक्ष्य प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाने का काम करती है । श्रीलंका में प्रेस कौंसिल के गठन एवं लक्ष्यों के सन्दर्भ में नया कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है । मुद्रित माध्यमों से सम्बन्धित नीति निर्धारित करने वाली संस्था के रूप में इण्डोनेशिया में राष्ट्रपति के आदेश से 1984 में प्रेस कौंसिल की स्थापना की गई । प्रेस कौंसिल में 25 सदस्य रखे गए । कौंसिल की 9 सदस्यों की समितिको 6 सूत्री आचरण संहिता के पालन पर नजर रखने का दायित्व दिया गया । प्रेस कौंसिल को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह प्रेस, सरकार एवं समाज के बीच भावनात्मक सम्बन्धों को प्रोत्साहन दे । 5 सरकारी अधिकारी, 8 पत्रकार संघों से, 6 प्रकाशक के ग्राफिक एवं प्रिन्टिंग संघों से तथा एक विज्ञापन एजेन्सियों का सदस्य कौंसिल के 25 सदस्यों में शामिल है । इनमें चार सदस्य विद्वानों एवं शिक्षाविदों में से लिए जाते हैं । यूनिफाईड मास मीडिया एक्ट के द्वारा इण्डोनेशिया की प्रेस को नया रूप देने की प्रक्रिया जारी है ।

7.8 सारांश

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रान्ति के कारण दुनिया की सीमाएं संकुचित होने लगी हैं तथा प्रेस की स्वतन्त्रता संचालन एवं विकास के मार्ग की अनेक बाधाएं स्वत' ही कमजोर होने लगी है राजतन्त्र सेवा शासन जनतन्त्र आदि राजनैतिक व्यवस्थाओं के बीच अनेक कानूनों के फेरबदल में उनकी प्रेस की आजादी के नए क्षितिज उभरने लगे हैं ! चीन में साम्यवादी व्यवस्था है ! सिंगापुर स्वतन्त्र व्यावसायिक उद्यम की नीति पर चलते हुए राजनैतिक व्यवस्था के बदलाव के बावजूद सूचनातन्त्र सम्बन्ध में प्रगति पर है ! इस प्रकार अब सेन्सरशिप के द्वारा प्रेस की आवाज को दबाना इसलिए निरर्थक होने लगा है कि क्योंकि अन्तरिक्ष(साइबरस्पेस) के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

आज ही देश में जनसंचार माध्यमों के बन्द रखने की नीति निर्बल होने लगी है ! मलेशिया ने नई सूचना प्रौद्योगिकी के संचालन को स्वतन्त्र करना पड़ा है क्योंकि दुनिया के साथ चलना है तो सूचनातन्त्र की नई विधाओं को अपनाना होगा !

साम्यवादी विचारधीन एशियाई देशों को भी प्रेस को विभित्र स्तरों पर आजादी देने के लिए कानूनों में फेरबदल को विवश होना पड़ा है। जापान, ताईबान, दक्षिण कोरिया, फिलीपीन्स एवं थाईलैण्ड की प्रेस अन्य एशिया देशों की प्रेस से अधिक स्वतन्त्र है। 21वीं सदी में जनसंचार माध्यमिकों के सन्दर्भ में चिन्तन करने वालों की चिंता प्रेस कानूनों या प्रेस की स्वतन्त्रता से अधिक अब इस ओर अधिक है की जनसंचार माध्यमों की भ्रमित नैतिक समस्याओं के कारण इनकी विश्वसनीयता एवं सम्मान में कमी न आ जाए। बने बनाए ढांचे टूटने लगे हैं और संकेत ये हैं की नए सूचना युग अर्थात् 21 वीं सदी का परिदृश्य गत सदी से बेहतर एवं प्रकाशमय होगा। प्रेस की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में राजनैतिक व्यवस्था एवं धर्म का विश्लेषण करे तो एशिया के देशों की स्थिति इस प्रकार है-

1. *साम्यवाद - लाओस(बौद्ध), चीन(बौद्ध एवं कफ्यूसियस), उत्तरी कोरिया(बौद्ध एवं कफ्यूसियस) एवं वियतनाम(बौद्ध), ।*
2. *अधिनायकवाद-(परम्परागत राजतन्त्र गैर दलीय अध्यक्षात्मक एवं सेना) - भूटान(बौद्ध), मालदीव*
3. *(इस्लाम), ब्रूनेई दरूसलम(इस्लाम), म्यांमार(बौद्ध), पाकिस्तान(इस्लाम) ।*
4. *दलीय एकाधिकार-कम्बोडिया(बौद्ध मलेशिया(इस्लाम) एवं सिंगापुर(बौद्ध, कफ्यूसियम)*
5. *टाईप-2 संसदीय / अध्यक्षात्मक जनतन्त्र जहां स्वतन्त्र माध्यम प्रणाली है- मंगोलिया(बौद्ध), भारत(धर्मनिरपेक्ष), इण्डोनेशिया(इस्लाम) श्रीलंका(बौद्ध), बंगलादेश(इस्लाम), नेपाल(हिन्दू) चीन तथा हांगकांग एवं मकाऊ को भी इस प्रकार श्रेणी में रखा जा सकता है ।*
6. *टाईप- 1: ससंदीय / अध्यक्षात्मक जनतन्त्र- जहां अधिक प्रेस स्वतन्त्रता है- थाईलैण्ड(बौद्ध), फिलीपीन्स(ईसाई), दक्षिण कोरिया(बौद्ध, कफ्यूसियम, ईसाई) ताईवान(बौद्ध) तथा जापान(बौद्ध, शिन्तो) ।*

जहां बौद्ध एवं कफ्यूसियम धर्मावलम्बी अधिक वहाँ अधिकतम स्वतन्त्रता या अधिनियाकवाद है। इस्लाम धर्म की मान्यता वाले देशों में कहीं माध्यम दर्जे की स्वतन्त्रता है तो कहीं अधिनियाकवादी प्रवृत्तियाँ । नेपाल(हिन्दू) या भारत जैसे देशों में काफी या अधिक स्वतन्त्रता है। इस प्रकार एशिया के देशों में कहीं समान क्षेत्रिय मूल्यों के आधार पर राजनीति या प्रेस की स्वतन्त्रता कायम नहीं है राजनैतिक व्यवस्था से यद्‌यपि प्रेम की स्वतंत्रता एक प्रेम के प्रकार की काफी प्रभावित होते हैं लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रेम की स्वतन्त्रता राजव्यवस्था का परिणाम है दरअसल अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता एक मानवधिकार है न की पश्चिमी या अन्य देशों की धारणाओं पर आधारित कोई मापदण्ड।

जिन पान मॉडल का उपरोक्त वर्गीकरण में किया गया है, उनमें विभित्र स्तरों पर अधिनायकवादी से प्रेस कानून प्रभावित होते हैं एशिया के देशों में कोई समान मूल्यों पर आधारित प्रेस कानून व्यवस्था नहीं है दरअसल जनसंचार माध्यमों के संचालन और नियम के निर्माण में शाश्वत विश्वव्यापी मानवीय को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए मानवाधिकारों द्‌वारा एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत किया गया है जो सामाजिक दायित्व से प्रेम के एशिया एक अन्य देशों में विकाल को प्रोत्साहन देने में सक्षम है। प्रश्न यह है कि 'समाचार मूल्य सर्वत्र समान है क्योंकि मानवीय जिज्ञासा पर में एक समान है।

लेकिन समस्या यह है कि मानवाधिकारों के सन्दर्भ में, साम्यवादी एवं इस्लामिक इस प्रकार की विभित्र धारणाएं में अस्तित्व रखती हैं एशिया के देशों में जनसंचार माध्यमों को सीमित करने या उनके विकास को रोकने के लिए कानूनों की आड़ लेने की के बजाय विकासात्मक समाज के प्रति जिम्मेदार स्वतन्त्र प्रेस को प्रोत्साहित करने का प्रयास होना चाहिए। जिन देशों में जनतांत्रिक व्यवस्था है वहां प्रेम एक ऐसी आवश्यकता है जो खोजपूर्ण पत्रकारिता के द्‌वारा सरकार के दोषों एवं कमियों की ओर संकेत करके सरकार को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। ऐसा करते समय प्रेत में भी दोषों का प्रवेश होना स्वाभाविक है। ऐसे में प्रेस परिषदों या अन्य उपायों द्‌वारा एवं सनसनीखेज पत्रकारिता के दोषों से प्रेस को बचाने हेतु आचरण संहिता को बेहतर एवं कारगर ढंग से लागू किया जा सकता है सच्चाई यह है कि शक्ति या क़ानूनों द्‌वारा या राष्ट्रीय सुरक्षा या अन्य बातों का सहारा लेकर प्रेम को के जाल में डालने के प्रयासों से बेहतर मार्ग यह है कि प्रेस के लिए आचरण संहिता का कोई विश्वस्तरीय मापदण्ड बने जिससे सामाजिक दायित्व की सर्वोपरि भावना के विकास के साथ एक सामाजिक दायित्व से स्वतन्त्र प्रेस की संरचना को बढ़ावा दिया जा सके / समाज की अस्मिता परम्पराओं एवं संस्कृति के विकास एवं बेहतर, सम्पन्न सुखी एवं शान्तिमय सामाजिक जीवन के निर्माण की दिशा में जहां प्रेस अपने मार्ग से हटकर चलने लगे या का शिकार होने लगे ऐसी अवस्थाओं में समाज एवं- सरकार के संरक्षण के लिए जो अनिवार्य हो वे कानूनों ढलें क्योंकि व्यवस्था का भी अपना महत्व है। सका सदुपयोग हो और दुरुपयोग न हो यह देखना चाहिए। विभित्र देशों के कानूनों दृष्टि है कि कई प्रेस के दमन के लिए बनाए जाते हैं इसके राजनैतिक और आर्थिक कारण हो सकते है। प्रेस के विकास के मार्ग में कुल मिलकर आमतौर से चार बधाएं होती हैं- कानूनी, राजनैतिक एवं आर्थिक दबाब तथा दमनात्मक कार्यवाहियाँ। ये कई बार प्रारम्भ होती हैं तो कई बार अप्रत्यक्ष असर करती हैं।

भाषण स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता, सूचना देने या प्राप्त करने की आजादी का एक स्थान पर एकत्रित होने और सामूहिक रूप से अभिव्यक्ति करने के स्वतन्त्रता आदि मानवाधिकारों की स्वतन्त्रता के लिए अनिवार्य है। इन समस्याओं का व्यक्ति या व्यक्तियों के सामूहिक संप्रेषण अधिकार एक प्रकार से जनतान्त्रिक व्यवस्था की प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। वैसे सामूहिक रूप से संप्रेषण(कम्यूनिकेशन) का अधिकार सिद्धान्तः बौद्ध,हिन्दू, क्रफ्यूसियम या इस्लाम के नियमों के साथ सामंजस्य रखता है। साथ ही बौद्ध धर्म में व्यक्ति की तर्कसंगत बुद्धि एवं उसके कार्यो एवं दायित्व पर बल दिया गया है, जिसके द्वारा वह महान् बन सकता है इस प्रकार प्रेस की स्वतन्त्रता मानव के संप्रेषण के अधिकार का प्रमुख अंग है। प्रेस कानूनों का निर्धारण, संशोधन और कानूनों का होना या न होना किस भी देश की नीति पर निर्भर होता है। भारत में प्रेस की पूर्ण स्वतन्त्रता है लेकिन सूचना का अधिकांश तथा जनसंचार प्रसारण माध्यमों की स्वतन्त्रता के मुद्दे देश में आज भी बड़े प्रश्न हैं।

बंगलादेश में प्रेस स्वतन्त्रता में बाधक 2.3 कानून हैं। न्यूज प्रिंट तथा विज्ञापनों के सरकार अपने पक्ष के समाचारपत्रों को लाभ पहुँचकर अन्य समाचारपत्रों पर अप्रत्यक्ष दबाव डाल सकती है राजतन्त्र के लिए अपमानजनक बातों या राष्ट्रीय सुरक्षा के सन्दर्भ में बने कानून प्रावधानों के कारण सरकार के विरुद्ध राय प्रकट करना दुष्कर कम है। पाकिस्तान में सेना, इस्लाम धर्म, न्यायपालिका की आलोचना का निषिद्ध है। मालदीव में सरकार तथ्यहीन आलोचना करने वाले समाचारपत्रों के बन्द करने का अधिकार रखती है। भूटान में जनसंचार माध्यमों को सरकार अपने विकास कार्यों को प्रोत्साहन देने को 'टूल' समझती है। वहाँ प्रत्यक्ष में कोई कानूनी व्यवस्था प्रेस के संदर्भ में नहीं है।

मालदीव एवं श्रीलंका को छोड़कर सार्क देशों में असाक्षरता भी मुद्रित माध्यमों(समाचारपत्रों) के विकास में एक बड़ी अड़चन है। इस समस्या के समाधान के बिना सूचना युग में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ सकते हैं। कम्प्युटर साक्षरता एवं बहु माध्यमों(मल्टीमीडिया) के विकास की दूसरी समस्या है। इन समस्याओं के बारे में चिन्तन करने से ही सूचना युग में विकास की गति को बनाए रखना संभव है।

दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपीन्स एवं थाईलैंड स्वतन्त्र प्रेस के दृष्टिकोण से सबसे आगे हैं। फिलीपीन्स में समाचारपत्र प्रकाशन के लिए किसी लाईसेन्स की जरूरत नहीं होती है लेकिन रेडियो और टेलीविजन के लिए लाईसेन्स प्रणाली जरूरी है फिलीपीन्स में प्रेस को महत्व दिया जाता है क्योंकि वहाँ संविधान में यह उल्लेख है की मुक्त सम्प्रेषण एवं सूचना की राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थाईलैंड सरकार संचार नीति में मुद्रित माध्यमों के ढील प्रति का रुख है लेकिन रेडियो या प्रसारण माध्यमों का संचालन सरकार या सेना के हाथों में है। इन्डोनेशिया सर्वाधिक पाबन्द जनसंचार माध्यमों की स्थिति से स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर है।

कम्बोडिया 1995 में बने कानून के मुताबिक स्वतन्त्रता के अधिकारों का प्रावधान किया गया लेकिन आर्कटिक 11 एवं 12 में पाबन्दियों का प्रावधान है। मलेशिया में आर्थिक व्यवधानों ने कानून के कारण समाचारपत्रों के प्रकाशन के लिए गृहमंत्रालय से आज्ञा लेने की व्यवस्था है लेकिन कम्यूनिकेशन एवं मल्टीमीडिया एक्ट 1998 के तहत जो अप्रैल, 1999 में लागू किया गया में सेंसरशिप नहीं लगाने का क्लॉज है। लाओस में सरकार की नीति के तहत रेडियो एवं

टेलीविजन पर सरकारी नियन्त्रण है। समाचारपत्रों पर भी सरकार नियन्त्रण करती है और सरकार के खिलाफ अभिव्यक्ति करने पर उसकी कठोर प्रतिक्रिया होती है । सिंगापुर में भी प्रेस का संचालन कानूनी दायरे में होता होता है। वहाँ सिद्धान्त: प्रसारण एवं मुद्रित माध्यम स्वतन्त्र है लेकिन सरकार के कानूनों का उन पर सख्त नियन्त्रण है।

वियतनाम में साम्यवादी एवं अर्द्धमुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रणालियों के कारण प्रेस के सामने बड़ी समस्या है। रेडियो एवं टेलीविजन को अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रसारण मानते हुए उनका सीधा संचालन सरकार के हाथों में है। विदेशी समाचारों एवं जसंचार माध्यमों पर भी पूर्ण नियन्त्रण है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा समाचारों के प्रकाशन की अनुमति लेना आवश्यक है। इंटरनेट पर व्यक्तिगत पहुंच की रोक है। ब्रूनेई में इस्लामिक राजतंत्र की अवधारणा के अनुसार सूचना का प्रवाह स्वतन्त्र नहीं है। म्यांमार में स्टेट पीस एण्ड डेवलपमेन्ट कौंसिल का जनसंचार माध्यमों पर पूर्ण संचालन है।

पूर्वी एशिया पर नजर डाले तो उत्तरी कोरिया पूरे एशिया का एक मात्र देश है जहां प्रेस तरह बंधन में है। चीन इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। चीन में आर्थिक समाचारों पर नियन्त्रण ढील है। जापान में केबल प्रेस के नियम के कोई कानून नहीं है। जापान के संविधान के आर्टिकल 21 में सेन्सरशिप पर रोक एवं सम्प्रेषण की नियमितता के संरक्षण का प्रावधान है। ताइवान में 1987 में मार्शल ला खत्म होने के बाद ही पहली बार आजादी की सांस लेने लगी / सरकार ने 1930 के पब्लिकेशन कानून को रद्द कर दिया एवं मुद्रण माध्यम उद्योग के स्थाई विकास के लिए कई कानून नए बनाए एवं कुछ संशोधित किए।

दक्षिण कोरिया में राजनैतिक दबावों में प्रेस को मुक्त करने के प्रयास जारी हैं। कुछ कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत हैं। प्रसारण माध्यमों के नियन्त्रण के लिए तीन कानून हैं। लेकिन आमतौर से वे काफी सीमा तक स्वतन्त्र है। मंगोलिया के जनसंचार माध्यमों की दिशा स्वतन्त्र प्रक्रिया की ओर है। हांगकांग 1997 में चीन के अधीन आने के बावजूद पूंजीवादी समाज एक स्वतन्त्र व्यवसायी प्रवृत्ति के कारण जनसंचार माध्यमों के सन्दर्भ में वाचाल है। यह बात अलग है कि चीन की शासन व्यवस्था में जनसंचार की यह आजादी कब तक टिक पाती है? मकाऊ की अधिकांश प्रेस साम्यवादी विचारधारा की है। अत: साम्यवादी समाज की धारणाओं से मुक्त है। चीन के आर्थिक सुधारों के कारण समाचारपत्रों के इस दृष्टिकोण में अन्तर परिलक्षित है कि समाचारपत्रों का दायित्व साम्यवादी दल की सेवा मात्र है। उत्तरी कोरिया जनसंचार माध्यमों पर सरकार के सम्पूर्ण नियन्त्रण का एक उदाहरण है।

पूर्वी एशिया के अधिकांश भाग की आर्थिक खुशहाली में इस क्षेत्र के जनसंचार माध्यमों की अधिक स्वतन्त्रता के लिए मार्ग प्रशस्त होने की सम्भावनाएं है।

7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. सम्पादक शैल्टन ए. गुनारत्ने - हैण्डबुक ऑफ दी मीडिया इन एशिया सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली एव लन्दन
2. एम. सलीम - प्रेस सिस्टम्स इन सार्क : सिंगापुर
3. एस. के अग्रवाल -प्रेस एट दी कोसरोड्स इन इण्डिया उच्च पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

4. डी डी. बसु : लॉज ऑफ प्रेस: प्रिन्टिस हॉल, नई दिल्ली

7.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. किसी देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति एवं कानूनों का प्रेस स्वतन्त्रता से क्या सरोकार हे? स्पष्ट कीजिए।
2. 'एशिया में प्रेस स्वतन्त्रता' की अवधारणाओं पर एक आलोचनात्मक आलेख लिखिए?
3. पूर्वी एशिया में कौन-कौन से देशों के प्रेस कानून प्रेस के विकास में बाधाएं डालने वाले हैं? समीक्षा कीजिए।
4. संविधान में प्रेस स्वतन्त्रता की गारन्टी के बावजूद प्रेस की स्वतन्त्रता किस प्रकार सीमित की गई है? विभित्र देशों के प्रेस कानूनों का उदाहरण देते हुए अपने मत की पुष्टि कीजिए।
5. 'प्रेस परिषदों में गठन से लाभ' इस कथन से आय कहा तक सहमत हैं? व्याख्या कीजिए।
6. नई सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने परम्परागत कानूनों को कहा तक प्रभावित किया है? विश्लेषण कीजिए।
7. एशिया में विभिन्न देशों के सन्दर्भ में भारत के कुछ प्रमुख प्रेस कानूनों की विवेचना कीजिए?
8. 'इक्कीसवीं सदी में जनसंचार माध्यम परिदृश्य' पर एक निबन्ध लिखिए?
9. दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वी एशिया में कहां प्रेस के लिए बेहतर कानून बने हुए हैं? विस्तार से स्पष्ट कीजिए।

इकाई 8 अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस एवं प्रेस परिषदें

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश

8.1 प्रस्तावना

8.1 प्रेस कानूनों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

8.2.1 सेन्सरशिप

8.2.2 सेन्सरशिप के विरुद्ध विचारों का सिलसिला

8.3 प्रेस की स्वतन्त्रता और सीमाएं

8.4 विश्व परिदृश्य और प्रेस परिषदें

8.4.1 प्रेस परिषद् की परिभाषा

8.4.2 प्रेस परिषदों की सदस्यता

8.4.3 परिषद् के कार्य एवं दायित्व

8.5 प्रेस परिषदों के स्व-नियन्त्रण का आधार

8.5.1 प्रेस परिषदों द्वारा तैयार आचार संहिताएं

8.5.2 मामलों की जांच की प्रक्रियाएं

8.6 प्रेस परिषदों के अधिकार

8.7 प्रेस परिषदों की आवश्यकता

8.8 सारांश

8.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

8.10 निबन्धात्मक प्रश्न

8.0 उद्देश

इससे पूर्व की इकाई एशिया में प्रेस कानून एवं प्रेस परिषद में आपने एशिया की प्रेस कानून एवं प्रेस परिषदों के इकाई में आप विश्व की प्रेस परिषदों एवं कानून के बारे में जानेंगे ।

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप यह बता सकेंगे कि -

- प्रेस और सरकारों के कानून का क्या संबंध है?
- राजनैतिक दर्शन से प्रेस किस प्रकार प्रभावित हुई हे?
- समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता के बिना इनके अस्तित्व का क्या अर्थ है?
- प्रेस सेन्सरशिप या समाचारपत्रों पर पाबंदी क्यों लगायी जाती है।
- प्रेस परिषदों की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

विश्व के समाचारपत्रों के विकास के लम्बे दौर में कानून ने किस प्रकार इन्हें प्रभावित किया और इन कानूनों के बनने की प्रक्रिया और विकास की यात्रा किस प्रकार चली। इन बिन्दुओं के संदर्भ में दुनिया के विभिन्न देशों में प्रेस - कानूनों के तुलनात्मक अध्ययन के

द्वारा आप समाचारपत्रों के कानून के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए समाचारपत्रों के विकास में प्रेस-कानूनों के महत्व एवं समाचारपत्रों की शक्ति को कम करने के लिए समय-समय पर बने कानूनों की चर्चा करना भी इस इकाई का उद्देश्य है।

प्रेस कानूनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान प्रेस -कानूनों की विभिन्न देशों में स्थिति का अवलोकन करके आप इस इकाई के द्वारा प्रेस की सामाजिक भूमिका और राजनैतिक संबंधी, को स्पष्ट कर सकेंगे। प्रेस -कानूनों का तथा इनकी आवश्यकता तथा विश्व परिदृश्य में एक तुलनात्मक अध्ययन भी इस इकाई का लक्ष्य है।

पिछली इकाई 4 से 6 एशिया में जनसंचार माध्यमों के उद्भव एव विकास के बारे में अध्ययन करने के अलावा परिषदें आप विश्व के विभिन्न देशों के दृष्टिकोण और समाचारपत्रों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की भूमिका को रेखांकित करते हुए 'सूचना के स्वतन्त्र प्रवाह' की दिशा में संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूनेस्को तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका से परिचित हो चुके हैं।

लेकिन समाचारपत्रों के विकास और उनके अस्तित्व के अंतिम अंग के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बने विभिन्न प्रेस- कानून एवं प्रेस परिषदों का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए विश्व के प्रमुख प्रेस-कानून पौर परिषद् की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने की दिशा में यह इकाई अत्यन्त उपयोगी है।

8.2 प्रेस -कानूनों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

प्रेस से संबंधित कानूनों के विकास में विशेष रूप से पश्चिमी या पश्चिम से प्रभावित समाजों के विभिन्न दार्शनिक विचारों की छाया पड़ी है। समाचारपत्रों के प्रारम्भिक दौर में, जबकि मुद्रण कला का 15वीं सदी मैं चलन शुरू हुआ, समाचारपत्रों के संबंध में बनाए गए कानूनों का आधार अधिनायकवादी प्रवृत्तियां थीं। इस काल के प्रेस -कानूनों का सैद्धान्तिक -पक्ष यह था कि समाचारपत्रों की सामग्री और स्वरूप पर सरकार का नियंत्रण हो तथा समाचारपत्र शासन के विचारों को प्राथमिकता दें। इतिहास के अगले दौर में व्यक्ति की स्वतन्त्रता के बारे मैं चिन्तन चला और स्वतन्त्रतावादी विचारों ने इस धारणा को बल दिया कि समाचारपत्रों को सरकार के नियन्त्रण से मुक्त रखा जाना चाहिए। इनके अनुसार यह इसलिए आवश्यक एवं न्यायसंगत है क्योंकि सत्य एव तथ्य की खोज तथा स्वशासन या स्वराज की कल्पना को साकार करने में समाचारपत्र तभी सफल हो सकते हैं जबकि वे सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों। विचारों के स्वतन्त्र प्रवाह की पहली शर्त है कि समाचारपत्रों पर अंकुश नहीं होना चाहिए। इस विचार ने अधिनायकवादी विचारों की तुलना में अधिक सफलता प्राप्त की। इसी द्वन्द्व के लंबे दौर के बाद विश्व का समाचार -जगत् कई परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजरा। बीसवीं सदी में समाचार-तन्त्र, कई जनसम्प्रेषण का एक सशक्त माध्यम बन गया और नागरिकों के नैतिक अधिकारों की दृष्टि से सामाजिक दायित्व का सबसे बड़ा पोषक माना जाने लगा।

विश्व के सम्पूर्ण समाचार-जगत् या समाचार-माध्यमों पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होगा कि अधिनायकवादी. स्वतन्त्रतावादी एवं सामाजिक दायित्व के सिद्धान्त को लेकर बनाए गए प्रेस कानून अर्थात् तीनों प्रकार की विचारधाराएं, प्रेस कानूनों के आधार के रूप में एक साथ आगे

चल रही हैं। तीनों विचारों के संदर्भ में अलग- अलग देशों में भित्र-भित्र प्रकार के प्रेस कानून हैं। कहीं समाचारपत्रों पर सरकारी नियन्त्रण और दबाव बनाये रखने के लिए प्रेस -कानूनों की संरचना की गई हैं तो कहीं पूर्ण स्वतन्त्रता के विचार को प्रेस-कानूनों का आधार बनाया गया है। समसामयिक कानूनों का निर्माण, प्रेस की सामाजिक दायित्व को पूरा करने की भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया गया है । जैसा कि प्रारम्भ में आप पढ़ चुके हैं कि दार्शनिक या राजनैतिक विचारों की प्रेस-कानूनों के बनाने मैं महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मार्क्स एव लेनिनवाद को आधार बनाकर भी कई देशों में प्रेस कानून बनाए गए हैं। यह कानूनों का चौथा मॉडल है। इस विचारधारा के अनुसार किसी भी देश के उत्पादन पर राज्य का नियन्त्रण माना जाता है और इस संदर्भ मैं मुद्रण या प्रिन्टिंग प्रेस पर सरकार का नियन्त्रण होना स्वाभाविक है। लेकिन लेनिन के सिद्धान्तों में प्रेस की स्वतन्त्रता का तात्पर्य है कि यह स्वतन्त्रता केवल उन लोगों तक सीमित है जो साम्यवादी दल को स्वीकार करते हैं । साम्यवादी विचारधारा के आलोचकों की दृष्टि में यह प्रेस स्वतन्त्रता नहीं है। अर्थात् साम्यवादी विचारधारा के अन्तर्गत या इसकी सीमाओं तक ही समाचारपत्र स्वतन्त्र है।

ऐसी अवस्था में, स्वतन्त्र एवं जनतांत्रिक प्रणाली अपनाने वाले देशों के प्रेस कानूनों का अवलोकन करना ही बेहतर होगा क्योंकि इससे भिन्न विचारधारा, जहां सरकार का विचार ही समाचारपत्रों का स्वरूप तय करे, वहां के कानूनों की चर्चा करना अधिक उपयोगी नहीं होगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपनिवेश देशों में 1945 में प्रेस से सम्बन्धित जो कानून बनाए गए, वे अधिनायकवाद के पोषक थे। इन कारणों के द्वारा समाचारपत्रों एव प्रिंटिंग प्रेसों का पूर्ण नियन्त्रण होता था। किसी की प्रिंटिंग प्रेस और समाचारपत्र के लिए ब्रिटिश कानूनों के तहत सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी से परमिट लेना पड़ता था। बिना सरकारी आज्ञा प्राप्त किये प्रेस या समाचारपत्र का संचालन कानूनन संभव न था। किसी भी कारण से या बिना कोई कारण बताए इस प्रकार के आशा पत्र को निरस्त किया जा सकता था। 1945 में पेलेस्टाइन गजट मैं प्रकाशित इस प्रकार का एक कानून अधिनायकवादी प्रवृत्तियों का द्योतक है। इस प्रकार के रैगूलेशन या कानून कई अधिनायकवादी देशों में आज भी प्रचलित हैं।

8.2.1 'सैन्सरशिप'

प्रेस की आजादी पर निरंकुश शासन के नियन्त्रण का एक तरीका 'सैन्सरशिप' या 'पाबन्दियां' हैं, जिसके अन्तर्गत समाचारपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सामग्री में से 'सैन्सरशिप' का अधिकार रखने वाला अधिकारी कोई भी समाचार, बिना कारण बताए हटा सकता है। यह तरीका भी पेलेस्टाइन गजट में प्रकाशित कानून का एक भाग था। आशा पत्र की शर्तों या सैन्सर कानूनों का उल्लंघन करना आपराधिक कृत्य माना जाता था। समाचारपत्र में सैन्सर के माध्यम से हटाई गई सामग्री का संकेत मात्र भी प्रकाशित करना एक अपराध था। इजरायल ने 'सैन्सरशिप' के संदर्भ में जो प्रेस कानून बनाए, वे प्रेस और सरकार की सहमति के अनुसार बने हैं। सहमति के बावजूद वहां प्रेस पर सरकार का नियंत्रण रहा।

8.2.2 सैन्सरशिप के विरुद्ध विचारों का सिलसिला

प्रेस सम्बन्धी अधिनायकवादी सिद्धान्तों के खिलाफ रुलैक स्टोन ने ब्रिटेन में अपनी 'कमेन्ट्रीज' के माध्यम से प्रेस की स्वतन्त्रता के महत्व पर जो विचार व्यक्त किए, वे प्रेस की आजादी के सिद्धान्त का पोषण करने वालों के लिए अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ आवाज बुलन्द करने में काफी सहायक हुए। 18वीं सदी में ब्लैक स्टोन ने यह विचार प्रतिपादित किया कि सैन्सर का अर्थ है कि प्रकाशन से पूर्व ही समाचारपत्र की आजादी पर 'सैन्सर' के द्वारा पाबन्दी लगाना और यह कानून सीमा से बाहर की बात है।

इस प्रकार से ब्लैक स्टोन ने 'सैन्सरशिप' प्रणाली और समाचारपत्रों एव प्रेस संचालन के लिए लाइसेंस की प्रणाली को अधिनायकवाद का द्योतक बताते हुए, इस प्रकार के कानूनों के औचित्य के खिलाफ प्रश्न खड़ा किया। उसने लिखा कि 'प्रेस की स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र राज्य की संरचना के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। 'लेकिन यह तभी संभव है जबकि समाचारपत्र के प्रकाशन से पूर्व उस पर कोई पाबन्दी न थोपी जाए। दर स्वतन्त्र व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जनता के समक्ष अपनी भावनाएं व्यक्त करे। इस अधिकार पर अंकुश लगाने का अर्थ है प्रेस की स्वतन्त्रता को नष्ट करना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अनुचित, अवांछित या गैर कानूनी या चालाकी पूर्ण सामग्री का प्रकाशन करता है तो उसके परिणाम भोगने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए।

दुनिया की कई कानून प्रणालियों ने ब्लैक स्टोन के विचार को ग्रहण किया। 'न्यूयार्क टाइम्स' और संयुक्त अमेरिका की सरकार के बीच इस संदर्भ मैं चले मुकदमे के बाद 1971 में प्रेस की स्वतन्त्रता के इस विचार को ग्रहण किया गया और यह विचार अब वहां के प्रेस कानूनों का हिस्सा है। 1948 में इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद इजरायल ने भी प्रेस कानूनों में स्वतन्त्रता की बात को स्वीकार किया। पश्चिमी जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में समाचारपत्रों की सैन्सरशिप या प्रकाशन से पूर्व किसी प्रकार की पाबन्दी न लगाने के प्रेस कानून वहां के नागरिक कानून(सिविल लॉ) का भाग है।

प्रेस की स्वतन्त्रता का ब्लैक स्टोन का चिन्तन दरअसल स्वतन्त्रतावादियो के मौलिक-दर्शन को परिलक्षित करता है। प्रेस की स्वतन्त्रता के इन विचारकों का मत था कि लाइसेंस के द्वारा समाचारपत्रों को दबाए या प्रकाशन से पूर्व, 'सैंसरशिप काम में लेने का सीधा अर्थ यह हे कि अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है और यह कार्य समाज -विरोधी है। इस दर्शन का आधार व्यक्ति की स्वतन्त्रता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को यह अग्रिम रूप से नहीं कहा जाना चाहिए कि वह क्या सोचे और क्या कहे। यदि अवांछित प्रकाशन हो तो उसके लिए वह दण्ड का भागी हो सकता है। इस प्रकार सैन्सरशिप 'के विरोध का परिणाम यह हुआ कि प्रेस पर सरकारी अधिकारियों की स्वतन्त्र शक्ति पर अंकुश लगाने की बात को बल मिला। यदि समाचारों के प्रकाशन में कुछ ऐसा होता जो समाज या शक्ति की स्वतन्त्रता का हनन करें या जो अपराध की श्रेणी में आए तो उसके लिए अन्य कानूनों के अन्तर्गत व्यवस्था की जा सकती है।

सरकारी या सार्वजनिक अधिकारी की आलोचना, आपराधिक कृत्य माना जा सकता है यह धारणा 19वीं एवं 20वीं सदी में कई स्वतन्त्र देशों के कानून प्रावधानों का हिस्सा रही। इजरायल के पेनल लॉ में यह बात शामिल रही। स्वीडन ने राजद्रोहात्मक अपलेख के अपराध के कानून को सर 1976 में समाप्त किया लेकिन राजद्रोहात्मक अपलेख के विचार को पूर्णतया नकारने और समाचारपत्रों की पूर्ण स्वतन्त्रता का मार्ग प्रशस्त करने में 1964 में 'न्यूयार्क टाइम्स' एवं सुलिवान के मामलों में अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि - "जनतत से संबंधित मुद्दों पर बिना किसी पाबन्दी के खुली, विस्तृत और जोरदार बहस होनी चाहिए और ऐसी बहस में सरकार या सरकारी अधिकारियों(पब्लिक ऑफिशियल्स) के लिए तिरस्कारपूर्ण विचार. तीखी टिप्पणी और कभी -कभी अप्रिय विचारों का हमला किया जाना शामिल है।"

इस प्रकार न्यायालय ने यह सार निकाला कि किसी समाचारपत्र को आलोचना के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक की मानहानि करने का आरोप वास्तव में दुर्भावनापूर्ण साबित न हो। यदि यह सिद्ध हो कि किसी आरोप में झूठे होने का ज्ञान होते हुए भी सत्य की अवहेलना करते हुए अपमान जनक अभिव्यक्ति की गई है, तो यह आपराधिक श्रेणी में आता है। लेकिन स्वतन्त्रता सिद्धान्त में व्यक्ति की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतन्त्रता के बीच कोई फर्क नहीं किया गया है । इसलिए इस विचार के अनुसार पत्रकार के रूप में पत्रकार को कोई विशेषाधिकार नहीं है। समुदाय के अन्य लोगों की तरह उसे भी समान स्वतन्त्रता है। इस तरह इस सिद्धान्त में सामाजिक भूमिका के लिए प्रेस के कोई विशेष अधिकार की कल्पना नहीं की गई हे।

इसके विपरीत प्रेस के सामाजिक दायित्व के सिद्धान्त में प्रेस सामाजिक आयामों(सोशियल डाइमेन्शन्स) की परिकल्पना की गई है तथा कहा गया है कि प्रेस का विशेष कानूनी दर्जा(स्टेटस) होना चाहिए। इस विचार के अनुसार संवाददाता, सूचना के स्रोत को बताने के कानूनी-दायित्व से परे माना गया है। इस विचार के औचित्य को दर्शाते हुए यह माना गया है कि संवाददाता जनता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा तभी कर सकता है जबकि प्रेस को विशेषाधिकार का दर्जा दिया जाए। स्रोत की रक्षा के बिना जनता को विश्‍वसनीय सूचना देना सम्भव नहीं हो सकता, यह धारणा ही इस सिद्धान्त का आधार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों ने कानूनी रूप से यह विशेषाधिकार देना स्वीकार किया और यह प्रवृत्ति अन्य स्वतन्त्र देशों तक पहुंचने लगी।

पिछले कुछ दशकों में 'सूचना प्राप्ति की स्वतन्त्रता ' के कानूनों को पास, स्वीडन, अमेरिका जैसे कुछ स्वतन्त्र देशों में तरजीह दी गई जो 'जनता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार' को मान्यता देने की प्रक्रिया से संबंधित है तथा इसका आधार प्रेस के 'सामाजिक दायित्व' को माना गया है। इस सिद्धान्त का एक पक्ष यह भी है कि प्रेस को विशेषाधिकार न होने पर भी वह राजनैतिक प्रभाव डालने की क्षमता रखता है और इसलिए उस पर कोई न कोई कानूनी नियंत्रण तो होना ही चाहिए।

इस प्रकार प्रेस की पूर्ण स्वतन्त्रता, सामाजिक दायित्व के सन्दर्भ में स्वतन्त्रता और अधिनायकवाद में नियन्त्रण की प्रवृत्ति आदि को लेकर अलग- अलग देशों में प्रेस की स्वतन्त्रता के कानून प्रचलित हैं। प्रेस की स्वतन्त्रता और संबंधित प्रतिबद्धताओं में अन्तर है। प्रेस कानूनों का पालन संवैधानिक कानूनों के अन्तर्गत होता है। जर्मनी, जापान, अमेरिका, स्वीडन आदि देशों में प्रेस की स्वतन्त्रता की गारंटी है लेकिन यह देश संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भो मे प्रेस कानूनों की समीक्षा की प्रणाली को भी मान्यता देते हैं। इससे इन देशों के, कानून प्रेस की स्वतन्त्रता के कानूनों की सीमाएं तय करते हैं। जैसे जर्मनी के मौलिक नागरिक कानूनों में हर व्यक्ति को लेखन, वाणी, चित्रों आदि के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। प्रेस एवं रिपोर्टिंग की पूर्ण स्वतन्त्रता की गारन्टी भी है। किसी प्रकार का 'सैन्सरशिप' भी नहीं है। लेकिन वहां के देश के साधारण कानूनों के प्रावधानों के द्वारा प्रेस की स्वतन्त्रता सीमित होती है। नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाने एवं मानहानि नहीं करने आदि के कई प्रावधान हैं जो प्रेस की आजादी को कम करते हैं।

इंग्लैण्ड या इजरायल जैसे देश, जहां लिखित संविधान नहीं है और न ही न्यायपालिका द्वारा कानूनों की समीक्षा की व्यवस्था है, वहां सैद्धान्तिक रूप में प्रेस की स्वतन्त्रता को मान्यता है लेकिन कानूनों की व्यवस्था से प्रेस की स्वतन्त्रता सीमित की जाती है।

8.3 प्रेस की स्वतन्त्रता और सीमाएं

प्रेस की स्वतन्त्रता के संदर्भ में इस समय विभिन्न देशों में अपने- अपने कानून हैं। जर्मनी और स्वीडन में प्रेस के नियमन के कुछ कानून हैं। लेकिन वहां प्रेस की स्वतन्त्रता के विचार का इतना सम्मान है कि प्रेस की स्वतन्त्रता पर दबाव डालने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं रखा गया है। इसके विपरीत फ्रांस ओर इजरायल के प्रेस कानूनों में अधिनायकवाद प्रवृत्ति का पुट है और सरकार को किसी भी समाचारपत्र के प्रकाशन को अनिश्चित समय तक बन्द करने, सस्पेन्ड करने का अधिकार है।

ताज्जुब यह है कि ब्रिटेन ने अपने देश में भले ही प्रेस कानून न बनाए हों परन्तु इजरायल को उसके प्रेस कानून ब्रिटेन द्वारा पेलेस्टाइन पर शासन के दौरान विरासत में मिले। भारत सहित अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों को भी विभिन्न प्रेस कानून उन्होंने सौंपे।

विश्व का समाचार जगत्-3

इस प्रकार प्रेस कानून, दुनिया में अलग- अलग विचारधाराओं से बंधे हुए। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कई प्रेस कानून 'प्रेस के सामाजिक दायित्व' की अवधारणा से प्रेरित हैं। यूरोप के कई अन्य देशों में स्वतन्त्रतावादी एवं गैर - स्वतन्त्रतावादी तत्वों का भी प्रेस कानूनों में मिश्रण है। समाचारपत्रों को स्वतन्त्रता भी है और उन पर सरकार का अंकुश भी है। इस प्रकार विश्व परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे की विरोधी विचारधाराओं के द्वन्द्व के बीच प्रेस सम्बन्धी कानून बने हुए हैं। कहीं -कहीं सामाजिक दायित्व का मिश्रण तो कहीं स्वतन्त्रता पर अधिक बल है।

8.4 विश्व -परिदृश्य और प्रेस परिषदें

बीसवीं सदी में प्रेस के सामाजिक दायित्व के विकास और प्रेस की स्वतन्त्रता की मिली -जुली अवधारणा के परिणामस्वरूप प्रेस परिषदों(प्रेस कौन्सिल्स) के विचार का उद्भव हुआ। जिन देशों में समाचारपत्रों या प्रेस की स्वतन्त्रता के विचार ने जोर पकड़ा, वहां यह बात भी पैदा हुई कि प्रेस की स्वतन्त्रता में यह दायित्व जुड़ा हुआ है कि वह अपने पाठकों के प्रति संवेदनशील रहे और जिम्मेदारी का भी निर्वाह करे। सरकारी एव निजी आयोगों ने प्रेस के कार्य संचालन का विभिन्न देशों में विश्लेषण करते हुए यह बात एक राय से दोहराई कि प्रेस के दुरुपयोग या उन दोषों के लिए भी कोड संस्था जिम्मेदार होनी चाहिए जो दोष प्रेस कानूनों के दायरे में नहीं आते।

प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए अमेरिकी आयोग(1945 - 1947), प्रेस के लिए रॉयल कमीशन आफ इंगलैण्ड(1947 से 1940) भारतीय प्रेस आयोग(1952 - 1954) दक्षिण अफ्रीका प्रेस आयोग(1951-1962) आदि ने कई उदाहरण प्रस्तुत किए और इस बात का सुझाव दिया कि प्रेस के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकने एवं, प्रेस के आचरण को बेहतर बनाने के लिए कोई स्वयंसेवी व्यवस्था या संस्था होनी चाहिए। ऐसा सुझाव देने का एक और मन्तव्य यह भी था कि सरकार के हस्तक्षेप का मतलब प्रेस की स्वतन्त्रता की गारंटी में बाधक बनना माना जाता है।

इस विचार को लेकर प्रेस परिषदों का 'स्वतन्त्र प्रेस' वाले देशों ने गठन किया। इनमें डेनमार्क, आस्ट्रिया, फिनलैण्ड. जर्मनी, इजरायल, दक्षिण कोरिया, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान, स्वीडन. इंगलैण्ड और अमेरिका शामिल थे। उद्देश्य यह था कि प्रेस परिषदें निरन्तर ऐसे प्रयास करें कि प्रेस अपनी स्वच्छ एवं जिम्मेदार भूमिका का निर्वाह कर सके।

8.4.1 प्रेस परिषद की परिभाषा

प्रेस परिषद् की कोई एक सम्पूर्ण परिभाषा नहीं दी जा सकती है। प्रेस परिषद का गठन स्वयं प्रेस द्वारा और प्रेस के लिए किया जाता है जिसमें एक संयुक्त दायित्व एव सहयोग के साथ पत्रकार एवं प्रकाशक मिलकर प्रेस, प्रेस एवं समाज प्रेस एवं सरकार के बीच परस्पर अच्छे संबंध बनाने के प्रयत्न कर सके। व्यवसायिक(प्रोफेशनल) आचरण का पालन करने वाले अभिभाषकों या चिकित्सकों के संघों या संगठनों की तरह प्रेस परिषदें भी काम करें। लेकिन प्रेस परिषद् के निर्णयों से प्रेस बंधी हुई नहीं है।

प्रेस परिषद की अवधारणा नई नहीं है। पहली प्रेस परिषद का गठन सर 1916 में स्वीडन में किया गया। इसका लक्ष्य विभिन्न समाचार-माध्यमों एव जनता के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाना था। इसके बाद धीरे- धीरे 17 देशों में प्रेस परिषदें बनी। ब्रिटिश प्रेस कौन्सिल भी बहुत पुरानी है।

टर्किस प्रेस कौन्सिल 1960 में बनी और 1968 में समाप्त कर दी गई। भारत मैं प्रेस परिषद की स्थापना 1965 में की गई। दरअसल, प्रेस की आलोचना ने इस प्रकार प्रेस परिषदों

के गठन के सिलसिले का मार्ग प्रशस्त किया। नेशनल न्यूज कौन्सिल(एन.एन.सी.) का गठन 1973 में एक स्वतन्त्र फाउण्डेशन द्वारा अमेरिका में किया गया। यह माध्यमों या समाचारपत्रों द्वारा बनाई गई परिषद् नहीं थी, लेकिन प्रेस को बेहतर भूमिका निभाने की दिशा में इसने महत्वपूर्ण योग दिया। आस्ट्रिया और जर्मनी में उत्तर देने का अधिकार(राइट टू रिप्लाई) तथा प्रेस परिषद् दोनों की व्यवस्था है।

8.4.2 प्रेस परिषदों की सदस्यता

दुनिया की अधिकांश प्रेस परिषदों के पत्रकार एव प्रकाशक सदस्य होते हैं। लेकिन डेनमार्क और नीदरलैण्ड अपवाद है। जहां केवल प्रकाशक और संपादक ही सदस्य होते हैं और यह संपादक भी दरअसल में संपादक नहीं-समाचारपत्रों के प्रकाशक या मालिक होते हैं। इसके विपरीत डच प्रेस कौन्सिल के केवल पत्रकार ही सदस्य होते हैं।

अधिकतर प्रेस परिषदों के सदस्यों में आम लोगों की संख्या ज्यादा रहती है। लेकिन यह माना जाता है कि यदि प्रेस परिषदों के सदस्यों में ऐसे लोगों को अधिक शामिल किया जाना चाहिए जो योग्य हों तथा जनता का विश्वास अर्जित करने की क्षमता रखते हों। प्रेस परिषदों के अध्यक्ष पद पर साधारणतया कोई न्यायाधीश होता है। इनमें सदस्यता की कुल संख्या के चुने हु ए या नामजद 20 से 33 प्रतिशत सदस्य साधारण व्यक्ति आमतौर से सदस्य बनाये जाते हैं। लेकिन अपवाद भी पाए जाते हैं। कोरिया की परिषद् के 46 प्रतिशत सदस्य ऐसे लोगों में से होते हैं, जो साधारण श्रेणी में आते हैं, जबकि अमेरिका एव नीदरलैण्ड की प्रेस परिषदों में बहु मत में साधारण श्रेणी के सदस्य होते हैं। आस्ट्रिया और

जहां तक प्रेस परिषदों के सदस्यों की संख्या का प्रश्न है इजरायल की प्रेस परिषद 'में सर्वाधिक 80 सदस्य ब्रेटन में 31, जर्मनी में 20 अमेरिका में 18 और डेनमार्क राव न्यूजीलैण्ड की प्रेस परिषद मैं सबसे कम अर्थात् 4 - 4 सदस्य होते है। इसमें प्रेस के खिलाफ शिकायतों की जांच या तो प्रेस परिषद करती है या ब्रिटेन, इजरायल एव अमेरिका की तरह प्रेस परिषद की विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है।

8.4.3 परिषद् के कार्य एवं दायित्व

प्रेस परिषदों का कार्य आमतौर से प्रेस की स्वतन्त्रता का संरक्षण करना तथा प्रेस का व्यावसायिक(प्रोफेशनल) स्तर ऊंचा रखना होता है। इस प्रकार इन परिषदों की भूमिका प्रेस की रक्षा करना और स्वनियंत्रण रखने की होती है।

आस्ट्रिया की प्रेस कौंसिल के कार्यों से प्रेस परिषदों की दोहरी भूमिका को स्पष्ट किया जा सकता है। आस्ट्रिया की प्रेस परिषद् के कार्य इस प्रकार हैं-

1. प्रेस की स्वतन्त्रता का संरक्षण करना।
2. कुछ बिन्दुओं के संबंध में पत्रकारिता की बुराइयों को समाप्त करने के प्रयास सुनिश्चित करना।
3. अपराध एव यौन सम्बन्धी रिपोर्टिंग।

4. व्यक्तिगत जीवन निजी बातों में दखल देना और सनसनी पैदा करने की प्रवृत्तियों को रोकना।

अधिकतर प्रेस परिषदों का दायरा प्रेस की कार्यप्रणाली तथा पत्रकारों की गतिविधियों तक सीमित है। कुछ प्रेस परिषद् मात्र पत्रकारों की आचार संहिता तक सीमित हैं। डेनिस परिषद् पत्रकारों के बजाय प्रकाशको की आचार -संहिता से ही
ताल्लुक रखती है।

8.5 प्रेस परिषदों के स्वनियन्त्रण का आधार

समाचारपत्रों तथा विभिन्न माध्यमों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के संबंध मैं प्रेस द्वारा अपने लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गई आचार-संहिता के आधार को लेकर प्रेस परिषद् कार्य करती है। डेनमार्क, फिनलैन्ड, नार्वे, कोरिया, स्वीडन जैसे देश इस पद्धति का अनुसरण करते हैं जबकि आस्ट्रिया, इजरायल, ताईवान. जर्मनी जैसे कई देशों की प्रेस परिषदों की स्वयं के द्वारा तैयार आचरण संहिता है जिसको आधार मानकर वे प्रेस के आचरण के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर निर्णय लेती हैं। न्यूजीलैंण्ड और अमेरिका में कानूनी फैसलों की परिपाटी को सामने रखते हुए परिषदें काई मामलों की जांच का कार्य सम्पन्न करती है। डच प्रेस परिषद् का मामलों की जांच का आधार इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नेलिस्ट्स(आई.एफ.जे.) द्वारा 1944 में स्वीकृत आचार संहिता है।

कुछ देशों में पत्रकारिता में प्रवेश करने वालों को आचार-संहिता की प्रति देने का चलन है. जैसे कि स्वीडन में पॉकेट के आकार की 'स्वीडिश कोड ऑफ एथिक्स' की पुस्तक पत्रकारिता में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को दी जाती है। नार्वे में 'जर्नेलिस्ट बी -केयरफुल' शीर्षक आधार संहिता कार्ड दिया जाता है।

8.5.1 प्रेस परिषदों द्वारा तैयार आचार -संहिताएं

इजरायल में प्रेस परिषद् की आचार-संहिता में व्यावसायिक- आचरण(प्रोफेशनल एथिक्स) तथा अच्छे पत्रकार के आचरण आदि के बारे में विस्तृत वर्णन है। इसमें तथ्यात्मक पुख्ता जानकारी एवं दायित्व पर बल दिया गया है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की प्रेस परिषद की आचार -संहिता में संबंधित सभी लोगों को अपने कर्त्तव्य पालन में उच्चतम मानकों का पालन करते हुए जनता को संख्यात्मक रूप से सूचित करने तथा सही टिप्पणियां करने के लिए आगाह किया गया है। जबकि आस्ट्रिया एव जर्मनी की प्रेस परिषदें सालों से बिना किसी आचरण का संदर्भ सामने रखे ही लम्बे समय से कार्यरत हैं। यह दिलचस्प बात है कि आस्ट्रिया की परिषद् ने 1971 में तथा जर्मनी की प्रेस परिषद् ने 1973 में अपनी-अपनी आचार-संहिता का विकास अपने अनुभवों एवं विभिन्न मुद्दों की जांच के परिणामों के आधार पर किया। कुछ अन्य देशों में भी इस पद्धति को अपनाया जाने लगा है।

8.5.2 मामलों की जांच की प्रक्रियाएं

ब्रिटेन में प्रेस परिषद् की स्थापना 1953 में की गई। सिने किसी प्रकार की आचार-संहिता की रूपरेखा बनाने की जरूरत नहीं महसूस नहीं की। इसका मत था कि कोई भी आचार

-संहिता सब प्रकार की शिकायतों को कवर नहीं कर सकती। मामलों की शिकायतों की जांच के परिप्रेक्ष्य में उसने अपने लिए मागदर्शक बातों को सामने रखने की प्रक्रिया अपनाई

न्यूजीलैण्ड और अमेरिका की एन.एन.सी. भी अपने निर्णयों के लिए किसी मान्यता प्राप्त आचार-संहिता को आधार नहीं बनाती। यह भी ब्रिटिश पद्धति का अनुसरण करने की नीति पर चलती है। मामलों के गुण-दोषों को देखती है। अधिकतर शिकायतों का सम्बन्ध समाचारपत्रों एव माध्यमों द्वारा सनसनीखेज समाचार छापने, लोगों के निजी जीवन में दखल देने, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने, गलत समाचारों का खण्डन नहीं छापने से होता है।

8.6 प्रेस परिषदों के अधिकार

किसी भी समाचारपत्र, जनसंचार माध्यम या पत्रकार पर, दोषी पाए जाने की अवस्था में, प्रेस परिषदों के बहुमत का फैसला मान्य होता है। आमतौर से दोषी पत्रकार या समाचारपत्र के लिए प्रेस परिषद के निर्णय को अपने पत्र में प्रकाशित करने की परम्परा है। इस प्रकार से ही प्रेस परिषदों को अधिकार या वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है।

जर्मनी और फिनलैंड की प्रेस परिषदें, किसी भी मामले के संदर्भ में समाचार माध्यम से अपनी गलती सुधारने की अपेक्षा करती हैं। इजरायल की परिषद् एक कदम आगे है। यह दोषी पाए गए समाचारपत्र की भर्त्सना करती है तथा उससे अपने समाचार-माध्यम के द्वारा माफी मंगवाती है। कोरिया की प्रेस परिषद् दोषी समाचारपत्र या माध्यम, न्यूज एजेन्सी या पत्रकार पर 'सैन्सर' लगाती है तथा आचार-संहिता के गंभीर उल्लंघन की स्थिति में पत्रकारिता के व्यवसाय से पत्रकार को हटा भी सकती है। स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका की प्रेस परिषदों को आचार-संहिता के उल्लघंन पर निर्धारित दण्ड देने का भी अधिकार है। अमेरिका की बी.एन.एन.सी. किसी समाचार संगठन के खिलाफ प्राप्त शिकायत के निर्णय में मात्र यह कहती है कि वांछित है या अवांछित। प्रेस द्वारा निर्णय को छापना जरूरी नहीं होता। लेकिन नैतिक अपेक्षा जरूर की जाती है कि दोषी समाचारपत्र द्वारा परिषद् के निर्णय को छापकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

8.7 प्रेस परिषदों की आवश्यकता

विश्व स्तर पर प्रेस परिषदों की समीक्षा की जाए तो ज्ञात होगा कि इनके होने के कई लाभ हैं और कुछ हानियां भी। लेकिन कुल मिलाकर प्रेस परिषदें समाचारपत्रों एवं जनता के लिए हितकर सिद्ध हुई हैं। समाचारपत्रों एव समाचार-माध्यमों की कोई अहमियत नहीं है यदि इनकी विश्वसनीयता नहीं है। सरकार और जनता पर प्रभाव डालने की क्षमता, प्रेस पर भरोसे या प्रेस की विश्वसनीयता पर निर्भर है। प्रेस परिषदें, इस विश्वसनीयता को बनाए रखने तथा प्रेस को एक स्वरूप, दिशा देने में गहरा योग देती है। प्रेस परिषदों की इसलिए जरूरत है कि यह विश्वसनीयता के निर्माण में योग देने के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं पर हितकर साबित हुई हैं-

1. प्रेस के विरुद्ध कोई शिकायत होने पर अदालतों के द्वारा खटखटाने के बजाय प्रेस परिषद् से अपील करना पाठकों के लिए सरल कार्य है। पाठक द्वारा शिकायत, पत्र द्वारा परिषद् को भेजने के बाद परिषद की शिकायत सुनने वाली मशीनरी काम शुरू कर देती है। और बिना

लम्बा समय बर्बाद किए तथा महंगे और अप्रभावी कानूनी पचड़ों में बिना पड़े ही शिकायतकर्त्ता द्वारा न्याय की अपेक्षा की जा सकती है।

2. बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के प्रेस परिषद् द्वारा बहस का ऐसा स्वतन्त्र मंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा सकता है जहां समाचारपत्रों या माध्यमों के दायित्वों, संचालन आदि पर खुली बहस संभव हो सकती है।

3. एक विश्वसनीयता और सम्मानीय प्रेस परिषद्, जिसमें उच्च स्तर के योग्य सदस्य हों, से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह प्रेस तथा अन्य संबंधित समूहों के हितों का संरक्षण करने की दिशा में प्रयासरत रहेगी। ब्रिटेन की प्रेस परिषद् अपलेख या कानूनी मसलों के बारे में स्पष्टीकरण लेने तथा 'कॉन्फिडेन्शियल इन्फोरमेशन' के बारे में स्थिति स्पष्ट करने आदि के प्रसंग में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती हैं। जर्मनी में प्रेस से संबंधित किसी कानून या बिल को तैयार सरते समय वहां की प्रेस परिषद् से सलाह मशविरा किया जाता है।

4. एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र प्रेस परिषद् द्वारा प्रेस की कार्यप्रणाली के आकलन से प्रेस की विश्वसनीयता बढ़ती है। प्रेस में कोई भी अवांछनीय समाचार या छायाचित्र प्रकाशित होने पर परिषद् द्वारा उसको 'सैन्सर' किया जा सकता हे और परिषद् असत्य एव अशोभनीय व्यवहार करने पा प्रेस की भर्त्सना कर सकती ले। इस प्रकार की भावना का पाठको में संचार होने पर समाचारपत्रों की विश्वसनीय एव बेहतर छवि बनने की संभावना बढ़ जाती है।

5. 5 स्वयं के लिए स्वयं द्वारा तैयार आचार-संहिता का प्रेस के लिए परिषद द्वारा क्रियान्वयन करने का अर्थ यह भी है कि प्रेस परिषद समाचारपत्रों को व्यावसायिकता 'प्रोफेशनलिज्म' के करीब लाने का कार्य करती है। प्रेस कॉन्सिल का यह प्रयास रहता है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले माध्यमों मैं उच्च मानकों की रचना कर सके। इस प्रकार पत्रकारों का अपनी 'प्रोफेशनल बॉडी या संगठन के प्रति दायित्व - भावना पत्रकारों के स्तर को ऊंचा रखने में कामयाब हो सकती है।

6. प्रेस परिषद् द्वारा सम्पादकों के विशेष उत्साह को कम किए बिना उन्हें कुछ मार्गदर्शन देते हु ए विशेष सीमाओं में काम करने को प्रेरित करती है।

7. प्रेस परिषद् द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों के आचरण के निश्चित मापदण्ड तय करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस व्यवहार के कुछ मानक सुनिश्चित करने में सहायक हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय आचार-संहिता के बेहतर होने से जाति, धर्म और अन्य उत्पादों में दुष्प्रचार या भावना भड़काने वाले 'प्रोपेगेन्डा' पर रोक लगाई जा सकती है। इस तरह 'सेटेलाइट' एव संचार तकनोलॉजी की आज की दुनिया में 'सूचना के स्वतन्त्र प्रवाह' एव विश्व हित में इस प्रकार के संगठन बेहतर काम कर सकते हैं।

इस प्रकार प्रेस परिषद् की आवश्यकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लेकिन परिषद् लोकप्रिय समाचारपत्रों के अधिक स्वतन्त्र होने की प्रवृत्ति पर रोक लगा सकती है और उनके मार्ग में बाधा भी प्रस्तुत कर सकती है। प्रेस के दायित्वों की व्याख्या भी बारीकी से करने की आवश्यकता होगी यदि संगठनात्मक मापदंडों के आधार पर समाचार-माध्यमों पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रेस परिषद् की कार्य-प्रणाली कुछ ऐसी होती है जहां प्रक्रिया की सीमाएं हैं। प्रेस कॉन्सिल के खिलाफ अपील की व्यवस्था का अभाव होता है । उचित प्रक्रिया न

अपनाई जाए तो प्रेस परिषद् की भूमिका अदालती रह जाएगी अर्थात् जांच, कार्यवाही एवं अदालती न्यायालयों के फैसलों जैसी इसकी भूमिका हो सकती है।

8.8 सारांश

समाचारपत्रों में उद्भव एवं विकास की लम्बी यात्रा के बाद 21वीं सदी में सूचना के स्वतन्त्र प्रवाह में सूचना तकनोलॉजी भी एक क्रांन्तिकारी युग में पहुंच गई है और दुनिया इस परिप्रेक्ष्य में सिमटकर बहुत करीब आ गई है। राष्ट्रों की सीमाएं संकुचित हो गई हैं। एक नए विश्व के स्वस्थ निर्माण एवं स्वस्थ दिशा के प्रसंग में प्रेस के लिए उपयुक्त कानून और उसकी स्वतन्त्रता शक्ति और धार को तेज रखने में सहायता करने तथा उसे गलत दिशाओं में जाने पर आगाह करने में प्रेस परिषद् जैसे संगठन की नैतिक शक्ति को ध्यान में रखते हुए इन दो पहलुओं पर इस इकाई में प्रकाश डालने की चेष्टा से तात्पर्य यह है कि नई सदी में एक विस्तृत फलक पर प्रेस पर समाचार-माध्यमों को परखने की दृष्टि का विकास किए जाने का प्रयास हो।

8.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. World Press Encyclopedia-Marjorie B. Bank, James Johnson
2. Indian Communication Revolution - Arvind Singhal, Everett Mrogers
3. Hand Book of the media in Asia - Shetltion A Gunaratne
4. The Media in Western Europe - Bernt Stuldec Ostergaard.

8.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. प्रेस कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसी संदर्भ में प्रेस कानूनों के ऐतिहासिक पीरप्रेक्ष्य का उल्लेख कीजिए।
2. सेंसरशिप किसे कहते हैं? सेंसरशिप के विरोध में पत्रकारों एव संपादकों की प्रतिक्रियाओं से अवगत कराए?
3. आपकी दृष्टि में प्रेस पर नियंत्रण के लिए क्या 'सेंसरशिप' होना जरूरी है? अपने विचार लिखिए?
4. प्रेस परिषद् की परिभाषा देते हुए प्रेस परिषद् के कार्य एवं उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए?
5. प्रेस परिषदों की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्या प्रेस परिषदें समाचारपत्रों एवं जनता के लिए हितकर सिद्ध हुई हैं? समीक्षा कीजिए?
6. भारत में प्रेस परिषद् के गठन एव उसके अधिकारों की विवेचना कीजिए?

इकाई 9 प्रेस की स्वतन्त्रता : अवधारणा एवं आकलन

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश

9.1 प्रस्तावना

9.2 प्रेस की स्वतन्त्रता की अवधारणा

9.2.1 प्रेस की स्वतन्त्रता का स्वरूप

9.2.1 अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की महत्ता

9.2.3 प्रकाशन और सेंसर

9.2.4 सूचना पाने का अधिकार

9.2.5 प्रमुख राष्ट्रों में प्रेस की स्वतन्त्रता

9.3 भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता

9.3.1 आजादी के पूर्व प्रेस की स्थिति

9.3.2 प्रेस और सरकार

9.3.3 भारतीय प्रेस की स्वायत्तता

9.3.4 स्वातंन्योत्तर भारत में प्रेस का आकलन

9.4 सारांश

9.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.6 निबन्धात्मक

इस इकाई में हम 'प्रेस की स्वतन्त्रता' के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अध्ययन करने के बाद आप :-

- प्रेस के विविध स्वरूपों को जान जाएंगे।
- स्वतन्त्रता की विभित्र अवधारणाओं से परिचित हो जाएंगे।
- विश्व में प्रेस की स्वतन्त्रता की स्थिति से सुपरिचित होंगे।
- आजादी के पहले भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता की भूमिका से अवगत होंगे।
- वर्तमान में प्रेस की स्वतन्त्रता सम्बन्धी तत्वों से परिचित हो जाएंगे।

9.1 प्रस्तावना

शासन की पूर्व अनुमति के बिना पत्र एवं सूचना प्रकाशित करने की छूट ही प्रेस की स्वतन्त्रता है। प्रेस की स्वतन्त्रता विचार की स्वतंत्रता का पर्याय है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, आयरलैण्ड, डेनमार्क, पश्चिमी जर्मनी आदि में प्रेस की स्वतन्त्रता को व्यक्ति की मूलभूत स्वतन्त्रता के रूप में मान्यता दी गई है। प्रेस की स्वतन्त्रता पर ही अन्य प्रकार की स्वतन्त्रता निर्भर है। जार्ज सदरलैण्ड ने एक बार कहा था कि 'प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने का अर्थ है अपने पैरों में बेड़ियां डालना। न्यायाधीश ब्लैक स्टोन की राय थी कि 'स्वतन्त्र प्रेस के बिना स्वतन्त्र देश की कल्पना नहीं की जा सकती। 'जापान, प. जर्मनी, आयरलैण्ड आदि ने भी इस स्वतन्त्रता की स्पष्ट रूप से अपने संविधान में स्थान दिया है।

अन्य देशों फ्रांस और भारत ने प्रेस की स्वतन्त्रता को व्यक्ति के विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत संविधान में जगह दी है। ब्रिटेन में 'विधि का शासन प्रेस की स्वतन्त्रता की सबसे बड़ी गारन्टी है जिसके अनुसार हर व्यक्ति को हर चीज लिखने और प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता है। समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत तीन विशेष बातें आती हैं-

1. पत्रों के अस्तित्व की स्वतन्त्रता
2. किसी चीज को प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता
3. किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता। आमतौर पर यही माना गया है कि समाचारपत्रों की समाचारपत्रों वहां है जहां तीनों प्रकार की स्वतन्त्रताएं हो।

9.2 प्रेस की स्वतन्त्रता की अवधारणा

9.2.1 प्रेस की स्वतन्त्रता का स्वरूप

प्रेस वह यंत्र है जिससे कोई चीज दबाई या कसी जाए। समाचारपत्रों का वर्ग ही प्रेस है। संचार के विविध साधन प्रेस के अन्तर्गत आते हैं। जनसंचार और मीडिया का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। मीडिया एक माध्यम है जिससे संवाद- प्रेषण होता है। यों तो प्रेस का अर्थ प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रणालय या छापाखाना है, परन्तु अंग्रेजी में प्रेस शब्द का अर्थ समाचारपत्र या अखबार समझा जाता है। लोकतन्त्र में समाचारपत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि जनता को देश-विदेश की गतिविधियों से परिचित कराने के लिए-वहीं एक मात्र साधन है। इसके अतिरिक्त जनमत जन दृष्टिकोण को प्रकट करने के लिए वही एक मात्र साधन है। इसके अतिरिक्त जनमत और जन दृष्टिकोण को प्रकट करने का भी वह सर्वोत्कृष्ट सोन है। लोकतंत्र का अर्थ यदि जन समाज की स्वतन्त्रता है तो बातों को जानना, उन पर मत प्रकट करने और उनकी आलोचना करने की जन-स्वतन्त्रता का मुख्य और व्यावहारिक रूप हो सकता है। फलत: समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का अर्थ जन स्वतंत्र के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में, जहां बहु मत दल सर्वाधिकार रखता है प्रेस की स्वतन्त्रता आवश्यक समझी जाती है। वे जनमत को प्रकट करते हैं और अपने प्रभाव से उसका निर्माण करते है। शासक वर्ग भी साधारणत: पत्रों के द्वारा ही यह समझने में समर्थ होता है कि उसकी नीति विशेष के सम्बन्ध मे जनना का भाव क्या है। फलत: सभ्य जगत में प्रेस की स्वतन्त्रता नागरिकता का मौलिक अधिकार एव मानव की स्वाभाविक आवश्यकता समझी जाती है। यही कारण है कि किसी देश की जनता की स्वतन्त्रता और उस देश की सरकार की प्रगतिशीलता और सभ्यता को नापने के लिए वहां के समाचारपत्रों की स्थिति को अचूक मानदण्ड माना जाता है।

प्रेस की स्वतन्त्रता सदैव उन लोगों को खटकती है जिनका स्वार्थ जन-स्वातंत्र्य की सीमा को संकुचित करने में रहा है। इतिहास साक्षी है कि जिस वर्ग का स्वार्थ होना है, जो वर्ग शासन करता रहता है वह लिखने, मत प्रकट करने और टीका करने की जन-स्वतन्त्रता को यथासंभव अधिकाधिक अपहृत करने हेतु सिद्धान्तो की दुहाई देकर तरह-तरह क उपाय करता है।
प्रेस स्वतन्त्रता का अर्थ एह है कि सरकार या प्रेस मालिक या अन्य किसी से डरकर अथवा नाराजगी की परवाह किए बिना संपादक स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट करें। उद्योगपतियों

का समाचारपत्रों पर नियन्त्रण भी विचारणीय है। पाठक क्या पड़े. किस रूप में पड़े इस पर भी ध्यान देना है।

सूचना पाने की स्वतन्त्रता का अर्थ 'राइट टू इन्फारमेंशन' या 'राइट टू बी इनफार्मेड है। प्रेस की स्वतन्त्रता सूचना के अविच्छिन्न प्रवाह में निहित है।

9.2.2 अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की महत्ता

'तुम्हारे एक-एक शब्द से मैं असहमत हूँ। लेकिन उन शब्दों को बघारने का तुम्हारा अधिकार कनई छीनना चाहे तो उसके लिए मैं जी-जान से लडूंगा'। रूसे के इस कथन से स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मानवता की पहचान है। अंग्रेज और अंग्रेजी दोनों ने विश्व में स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व भाव(Liberty, Equality and Fraternity) के प्रसार पर बल दिया। सन् 1644 ई. में जान मिल्टन ने Areopagitica प्रकाशित की जिसके अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को महत्वपूर्ण बतलाया गया " Give me the liberty to know, to utter and to argue freely according to coincidence above all other liberties."

विचार स्वातंत्र्य पर शासकों की कड़ी दृष्टि रहती है। सन् 1820 ई में मद्रास के गर्वनर सर टामस मुनरो ने स्पष्ट घोषित किया कि आजाद प्रेस और गुलामी दोनों एक दूसरे के घातक है-"A free press and the dominion of stranger are things which are quite incompatible; and which cannot long exist together. For what is the first duty of a free press? It is to deliver the country form a foreign yoke, if we make the press really free to the natives as well as to Europeans, it must inevitably lead to this result."

समाचारों के मुक्त प्रवाह को लिंकन ने आवश्यक बतलाया “You can fool people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all of the time.”

राजनेता और शासक भूतकाल के तथ्यों पर ध्यान नहीं देते तथा प्रेस स्वतन्त्रता को सीमित करना चाहते हैं जो प्रजातन्त्र के लिए अशोभनीय है। हिक्की की घोषणा द्रष्टव्य है -"। have no particular passion for printing of a newspaper. I have no propensity; I was not bred to slavish life of hard work, yet I take pleasure in endaring my body in order to purchase freedom for my mind and soul." अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की पत्रकारिता का मूल है।

9.2.3 प्रकाशन और सेंसर

लोकतंत्रीय व्यवस्था वाले देशों में समाचार और सेंसर एक दूसरे के विरोधी हैं। ' 'जहां सेंसर है वहां स्वतन्त्रता हो ही नहीं सकती, चाहे वह प्रत्यक्ष सेंसर हो या अप्रत्यक्ष। " वहीं दूसरी ओर सेंसर के समर्थकों का यह कहना है कि विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता तथा पत्रों की

स्वतन्त्रता निर्बाध नहीं हो सकती। वे अपने समर्थन मैं इस बात पर जोर देते हैं कि राष्ट्र की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको गुप्त रखना ही आवश्यक है क्योंकि इन्हे गुप्त रखने से राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा अधिक कर सकता है। राबर्टलिस्टन ने अपनी पुस्तक ' 'दी राइट टू नो-सेंसरशिप इन अमेरिका ' में कहा है कि "सेंसरशिप की समस्या केवल राम राज्य में ही हटाई जा सकती है, लेकिन यह किसी भी देश में कम अवश्य की जा सकती हैं। अमेरिका तथा ब्रिटेन में शान्ति के समय कोई सेंसरशिप नहीं होती। युद्ध के दौरान भी सेंसरशिप बहुत मामूली होता है। जापान में सेंसर की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में समाचारपत्रों पर सेंसर नहीं होता। सेंसर केवल आपातकाल में लागू होता है। पाकिस्तान में वैसे तो कोई सेंसर व्यवस्था नहीं है. लेकिन 1963 से प्रेस और प्रकाशन के अधिनियमों के अनुसार उन सभी प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध है जो शासनवर्ग के आलोचक हो। बांग्लादेश में सेंसर बड़ा व्यापक है। यह उन लेखों एव प्रकाशनों पर लागू है जिनका सम्बन्ध राष्ट्र सुरक्षा आन्तरिक शान्ति और दूसरे देशों से मैत्री सम्बन्ध के बारे में हो।

9.2.4 सूचना पाने का अधिकार

सूचना पाने का अधिकार प्रेस की स्वाधीनता का अभिन्न अंग माना जाता है। वस्तुत: यह जनता का अधिकार है और प्रेस उस अधिकार का उपयोग करके तथ्यों के उद्भव के लिए अधिक प्रभावी तरीके से करता है।

स्वीडन में सूचना पाने का अधिकार नागरिक को संविधान के जरिए दिया गया है। इसी प्रकार का अधिकार पश्चिमी जर्मनी या संघीय जर्मन गणराज्य के संविधान में उसके राज्यों द्वारा पारित प्रेस कानूनों में भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका मे 1974 में "फ्रीडम ऑफ इनफार्मेशन एक्ट(सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम) लाग है। वैसे इस -तरह के कानून अमेरिका के अनेक राज्यों मैं पहले ही पारित हो चुके थे। ब्रिटेन मैं 1911 से एक ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट विद्यमान था। उसे निरस्त करने के लिए 1978 मैं ऑफिसियल इन्फार्मेशन बिल(सरकारी सूचना विधेयक) के नाम से एक बिल प्रस्तावित किया गया था परन्तु हाउस ऑफ कामन्स के भंग होने के कारण उस पर विचार न हो सका।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संविधान में प्रथम शोधन के जरिये 'प्रेस की स्वाधीनता' पक्की की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा उसका विस्तार हुआ परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध में राष्ट्रपति ट्रूमन ने तथा बाद में राष्ट्रपति आइसन होवर ने अनेक सरकारी सूचनाओं को गुप्त रखने के आदेश दिए और उससे सूचना-सूत्रों तक पहुँचने के अधिकार का प्रश्न वहाँ के पत्रों में और पत्रकार बिरादरी में उठा।

जब 1949 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई तब फिलीपीन्स के प्रतिनिधि जनरल कार्लोस रोम्युला न सूचना स्वातंत्र्य पर एक प्रस्ताव सामने रखा। उसमें कहा गया था. सूचना का स्वातंत्र्य एक मूलभूत मानव अधिकार है। वह उस स्वातंत्र्य की कसौटी है जिसके प्रति संयुक्त राष्ट्र प्रतिज्ञाबद्ध है। बाद में यह निर्णय किया गया कि 1948 में जिनेवा में होने

वाली संयुक्त राष्ट्र विशेष महासभा में इस प्रस्ताव पर विचार: हो। सूचना पाने का आधिकार आज बहु चर्चित मुद्दा है जिसके संदर्भ में विचार मंथन चल रहा है।

9.2.5 प्रमुख राष्ट्रों में प्रेस की स्वतन्त्रता

विश्व के समस्त देशों ने अपने-अपने समाचारपत्रों को स्वतन्त्रता प्रदान की है। ब्रिटेन में लोकतंत्रमय जीवन के विकस में समाचारपत्रों ने स्वयं को अद्वितीय शस्त्र के रूप मैं सिद्ध किया है। अमेरिका में जन्म से ही समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। वरजीनिया की विधानसभा ने 1776 मैं 'अधिकारों का एक कानून' बनाया जिसकी धारा 12 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता राष्ट्रीय जनता का बहु त बड़ा अंग है और उसको कोई भी शासन प्रतिबन्धित नहीं कर सकता। फ्रांस में वह कानून विशेष रूप से प्रसिद्ध हु आ और वहीं फ्रांस के मानव अधिकारों के घोषणा पत्र का आधार बना। अमेरिकी संविधान में 3 नवम्बर, 1761 को मानवीय अधिकारों का एक विधेयक स्वीकार इकाई 9 किया गया था। उसकी पहली धारा में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ' अमेरिकी कांग्रेस कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी? प्रेस की स्वतन्त्रता जिससे किसी धर्म की स्थापना अथवा उसकी उपासना अथवा भाषण की स्वतन्त्रता अथवा समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता में अवधारणा किसी प्रकार की कटौती होती हो। ' अमेरिका की प्रथम कांग्रेस में ही जेम्स मेडिसन ने संविधान में संशोधन के रूप एव आकलन में अधिकारों का विधेयक प्रस्तुत किया था जिसमें समाचारों व समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता पर कांग्रेस को कटौती न करने आकलन का स्पष्ट आदेश दिया गया था।

अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट ने कांग्रेस के नाम अपने संदेश में इस बात पर बल दिया था कि भविष्य में एक ऐसी विश्व की आवश्यकता है जिसमें चार आवश्यक मानवीय स्वतन्त्राएं हों। उनमें पहली स्वतन्त्रता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता। जैफरसन ने तो समाचारपत्र जगत् को स्वतन्त्र समाज में यह कहकर सर्वोच्च स्थान दिया कि यदि उसको समाचारपत्र विहीन शासन व्यवस्था और शासनहीन समाचारपत्र वाले समाज में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो वह नि:संदेह समाचारपत्र वाली व्यवस्था को अंगीकार करेगा। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि ' 'हम सब इसलिए सुरक्षित हैं कि हमारा समाचारपत्र जगत् स्वतन्त्र है।

जापान में प्रेस को जितनी आजादी है तथा वहां के समाचारपत्रों का प्रसार भी काफी अधिक है। वहां के समाचारपत्र सरकार की कटु आलोचना भी करते हैं और उन सभी का स्वामित्व गैर सरकारी हाथो में है। जापान का दूरदर्शन(टेलीविजन) एव आकाशवाणी(रेडियो) भी सरकारी क्षेत्र में न होकर निजी क्षेत्र में है।

यदि सरकार पर कोई नियन्त्रण न हो तो वह जल्दी ही निरंकुश होकर नागरिकों को सताने लग जाएगी। सर विंस्टन चर्चिल के अनुसार ' 'समाचारपत्र अत्याचारी शासक वर्ग का सबसे बडा दुश्मन है '। अमेरिकी संवाददाता जैकएडर्सन ने अपनी पुस्तक 'एडर्सन पेपर्स ' में कहा कि समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता एक पहरेदार कुत्ते की तरह है जो कभी-कभी भयंकर रूप धारण कर सकती है और उसकी घ्राण शक्ति हमें उन छिपी आलमारियों तक ले जाती है जिनमें सरकारों. बड़े-बड़े औद्यौगिक संस्थानों तथा बड़े-बड़े नेताओं ने कंकाल छिपा रखे हैं। अमेरिका का

प्रसिद्ध ' 'वाटरगेट कांड जिससे राष्ट्रपति निक्सन का पतन हुआ प्रेस की स्वतन्त्रता का सम्भवत : सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार जापान के प्रधानमंत्री काकुई तनाका के पतन मैं समाचारपत्रों ने जो योगदान दिया, वह सबको ज्ञात है। ब्रिटेन का प्रोफूम्यू और भूतपूर्व व्यापार मंत्री सेसिल पारकिंसन की भूतपूर्व सचिव कुमारी सारा क्रीज़ से अवैध सम्बन्ध होने का कांड. ब्रिटिश प्रेस की स्वतन्त्रता के प्रतीक है। बिहार का आँखफोड-कांड और अनेक राज्यों का बंधुआ श्रमिकों की संवेदनशील कहानियाँ हमारी पत्रकारिता
के श्रेष्ठ उदाहरण है।

बोध प्रश्न - 1

1. प्रेस किसे कहते हैं? प्रेस की स्वतन्त्रता क्या है? लिखिए.
2. सेंसर और समाचारपत्र के बीच क्या सम्बन्ध? लिखिए
3. कुछ प्रमुख राष्ट्रों में प्रेस की स्वतन्त्रता की समीक्षा कीजिए।

9.3 भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता

9.3.1 आजादी के पूर्व प्रेस की स्थिति

कलम के सिपाहियों ने स्वतन्त्रता के लिए अलख जगाई। जनता में जाग्रति पैदा की। संघर्ष और बलिदान का जज्बा पैदा किया। साथ ही आजादी के आन्दोलन में कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। अखबारों ओर: पत्रकारों को तलाशी, जब्ती. जेल-जुर्माने के रूप में बड़ी कीमत चुकानी पडी । कानून के नाम पर खड़े किए गए पहाडों से टकराना पड़ा। जुल्म. ज्यादती और कानून की आड़ में मनमानी और दमनचक्र का माकूल जवाब कलम के सिपाहियों ने दिया। मानी लेखनी से प्रबल स्वतन्त्र चेतना जगाई और देशवासियों में ' 'स्वतन्त्रता के जन्म सिद्ध अधिकार " को पाने का साहस एव विश्वास पैदा किया। अन्यायी हुकूमत का मुकाबला कलम से करने की यह रोमांचकारी दास्ता है। अकबर 'इलाहाबादी के शब्दों में-

खींचो न कमानों को न तलवार निकालो
जब तोप मुकाबिल हो. तो अखबार निकाला।

हिकीज गजट ने तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्ज और कम्पनी की अधिकारियों की मनमानी पर प्रहार किए। विश्व का अखबार पर छापे पड़े। जुर्माने हुए संपादक को जुर्माने और जेल की सजा हुई फिर भी कलम चलती रही। आखिर समाचार जेम्स आगस्टस हिकी को भारत छोड़ना पड़ा।

'बंगाल जर्नल '(1785). द वर्ल्ड(1791). टैलीग्राफ(1796). कलकत्ता गजट(1784) ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अफसरों की घूसखोरी या अन्य कारनामों के खिलाफ जमकर लिखा। किसी पर मुकदमे थोपे गए तो किसी के वितरण पर पाबंदी लगाई गई। सेना में व्याप्त असंतोष पर भी लिखा गया। इससे फिरंगी हुकूमत अखबारी आजादी की दुश्मन बन गई। लार्ड वेल्सले ने 13 मई, 1799 को अखबारों के लिए एक पाँच सूत्री नियमावली जारी कर दी। यह भाग में प्रेस पर कानूनी बंदिश का पहला फरमान था। इसमें नियम तोड़ने वाले विदेशी पत्रकारों -प्रकाशकों को विदेश भेज देने का प्रावधान था।

9 अप्रैल, 1807 को आम सभा पर पाबंदी लगाई गई तब पर्चे बटने लगे। गर्वनर जनरल लार्ड मिटा ने अखबारों पर नई पाबंदियां लगाई। 1813 में नए नियम बनाकर अखबारों पर शिकंजा ज्यादा सख्त का दिया गया। वह पहला सेंसर था। 1818 में लार्ड हैस्टिंग्ज ने सेंसर तो समाप्त किया, पर नये नियम जारी कर दिए । इस तरह ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शिकंजा अखबारों पर बना रहा। 1818 में बांग्ला, 1822 में गुजराती. उर्दू-फारसी अखबार निकले । 1823 में नये गवर्नर जनरल जान एडम ने तो अखबारी आजादी का गला घोंट दिया। उसी ने प्रेस लिए लाइसेंस प्रणाली लागू की।

भारतीय पत्रकारिता में पहले शहीद मौलवी मौहम्मद वाकर बने. जो 1837 में दिल्ली मे प्रकाशित ' 'देहली उर्दू अखबार ' के संपादक थे। फिरंगियों और उनकी सरकार के जुल्मों के खिलाफ वाकर ने जो कलम चलाई, उसके फलस्वरूप उन्हें दिल्ली दरवाजे के सामने खड़ा करके गोली मार दी गई. ताकि कलम के सिपाही आतंकित हो जाए और आजादी के आन्दोलन की गति रुक जाए।

'न्यू इण्डिया (एनी बेसेंट). हिन्दू(मद्रास), लीडर(इलाहाबाद), अमृत बाजार पत्रिका(कलकत्ता, और सैयद हु सैन का 'इंडिपेंडेंट प्रमुख पत्र थे। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने 'बंगाली' निकाला। मौलाना आजाद के " हिलाल नई खतना पैदा की। लोकमान्य तिलक ने 'मराठा और कैफी महात्मा गांधी के,हरिजन. तोवणकर के ' मलयाल मनोरमा कलकत्ता के 'विशाल भारत' और 'मार्डन रिव्यू,, गणेश शकर विद्यार्थी के 'प्रताप. माखनलाल चतुर्वेदी के 'कर्मवीर ' और 'प्रभा 'लाहौर के ट्रिब्यून एव' अकाली ते परदेशी '(संपादक सरदार दीवान सिंह), आगरा के 'सैनिक. मुम्बई के 'मुम्बई समाचार: ', बनारस के ' आज ' आदि ने क्रान्ति की ज्वाला को भडकाया। आजादी का आन्दोलन जनादोलन बना और: अखबार की जब्ती. जुर्माने, पाबन्दी, संपादकों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी तेजी से चलता गया। इस बीच कानपुर में गणेश शकर विद्यार्थी शहीद हो गए। काल कानूनों एव दमन के खिलाफ कलम के सिपाही मजबूती से जमे रहे।

संपादक की तलाश में 'जू उन करनीन ' में फरवरी, 1907 में जो विज्ञापन छापा गया, वह रोंगटे खड़े करता है - 'एक जौ की रोटी और एक प्याला पानी, यह शरहे-तनख्वाह '(वेतन) है, जिस पर ' स्वराज्य '. इलाहाबाद के वास्ते एक एडीटर मतलूब(आवश्यकता) है। यह वह अखबार है जिसके दो एडीटर बगावत आमेज मजामीन(।विद्रोहात्मक लेखों) की मुहब्बत मैं गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तीसरा एडीटर मुहैया करनें के लिए इश्तहार दिया जाता है. उसमें जो शरहे तनख्वाह जाहिर की गई है. के वास्ते ऐसा एडीटर दरकार है. जो अपने एशोआराम पर जेलखाने मैं रहकर जो की रोटी और एक प्याला पानी को तरजीह दे '। देश के लिए समर्पित कलमकारों के त्याग की कैसी रोमांचक मिसाल है।

यह सब कितनी रोमांचक दास्तां है। इससे अंदाजा लगाते है कि देश के पुनर्जागरण, आजादी के लिए_ संघर्ष, सामाजिक चेतना और देश के गौरव बढ़ाने के लिए पत्रकारों तथा पत्रकारिता ने कितना बड़ा संघर्ष किया था। तब पत्रकारिता आय का माध्यम नहीं थी। तब सिर्फ

संघर्ष, कुर्बानी तथा देश के उत्थान का ध्यान था। तब पत्रकारिता ऐशो आराम का साधन नहीं, बल्कि कांटों की शैय्या थी। तब पत्रकारिता ने स्वतन्त्रता संग्राम के साथ-साथ गोलमेज परिषद, सती-प्रथा, साइमन कमीशन. बंगाल के भयानक अकाल और महामारी पर भी कलम चलाई। देशवासियों को झकझोरा और जागृत किया. ताकि वे आजाद भारत के लिए और गुलामी की जंजीरों की तोड़ने के लिए एकजुट हो जाए। यह सारा संदेश जब जन-जन तक पहुँचा तो सारा देश एक राष्ट्र पुरुष की तरह नींद से जागकर खड़ा हो गया और सब तरफ गगन भेदी आवाज गूंजने लगी 'वंदे मातरम. ' अंग्रेजों भारत छोड़ो "। आखिर आततायी अंग्रेजों को जाना पड़ा। पत्रकारिता और पत्रकार ने मातृभूमि के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया। वह कलम न रुकी, न झुकी। दरअसल, कलम के सिपाहियों ने देश की आजादी के संघर्ष में जो त्याग किया और बलिदान दिया तथा अपने आराम की चिंता नही की. वह स्वतन्त्रता के इतिहास का एक उज्जवल पृष्ठ है। आज भी उसका स्मरण, चिंतन और मनन जरूरी है. ताकि कड़े संघर्षों से प्राप्त आजादी अक्षण्ण रहे।

9.3.2 प्रेस और सरकार

समाचारपत्र और सरकार के बीच उचित सम्बंध स्थापित होने पर जनतंत्र की सफलता संभव है। समाचारपत्र सरकार -प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए दर्पण है। इसलिए जो सरकार पत्रों को महत्व देती है उसे जनहितकरी शासन के रूप मे मान्यता प्राप्त होती है। अवधारणा है। आपातकाल मे भारत के समाचारपत्रौं का संसार दाग गला, घोंट दिया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि सुदीर्घ कांग्रेसी शासन की समापित हुई और विविध घटको विचित्र नेताओ तथा बेमेल सिद्धन्तो वाले व्यक्तियों के हाथ मे जनता ने बागडोर सोप दिया। समाचारपत्र और लोकतंत्र के संबंध मैं स्पष्ट करने के लिए_ श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्घत हैं “” There can be no democratic society without a free press. This can to realized by the fact that every dictator, communist, fasicist. Military or oligarchic thries rigidly to control the press as soon as it is in a position to do so .150 years ago Napoleon spoke for all of them when he said, A free press is tohe feared more than a thousand hayonets.”

समाचारपत्र एक व्यवसाय है. कला है। व्यवसायी को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता कैसे प्राप्त हो सकती है। इसी विसंगति के संदर्भ में अमरीकी पत्रकार लुई फिशर ने कहा था कि 'भारत ने गणतंत्र शासन की पद्धति को अपनाया है ओर चुँकी यहाँ कोई सुदृढ़ विरोधी दल नहीं, अत: प्रेस की स्वतन्त्रता को कायम रखना नितान्त आवश्यक है। न तो सरकार को ही समाचारपत्रों. समाचारपत्रों की गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चाहिए। और न समाचारपत्रों के मालिकों को सम्पादकीय लेखों एव समाचारो के प्रकाशन आदि मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी प्रश्न का स्व जवाहरलाल नेहरू ने 1963 ई. में 'इण्डियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट' के 11 वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, उठाया था- 'प्रेस की स्वतन्त्रता एक अच्छी बात है। पर वह किसकी स्वतन्त्रता है- मालिक की, सम्पादक की या

पत्रकार की? यह सोचने की बात है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि प्रेस की स्वतन्त्रता अन्तत: मालिक की ही होगी, जो इस स्वतन्त्रता का और कारणों के लिए भी उपयोग कर सकता है। '

समाचारपत्रों और सरकार के बीच सम्बन्धों के निर्धारण में डाक दरें, विज्ञापन, वित्तीय सहायता तथा अखबारी कागज का कोटा ये सब महत्वपूर्ण घटक प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। इन सभी घटको के कारण समाचारपत्र प्राय: जामन के दबाव में आ जाता है। जौ पत्र अंकुश नहीं मानते उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा जानी है और वे -अपना अस्तित्व भी गंवा बैठते हैं।

व्यक्ति और भारतीय संविधान

भारतीय संविधान का मूलाधार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है। भारत के संविधान की निम्नलिखित प्रस्तावना है- 'हम भारत के लोग. भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय. विचार. अभिव्यक्ति. विश्वास. धर्म. और उपासना की स्वतन्त्रता. प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढाने के लिए द्रुढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 को एतद्द्यरा इस संशोधन को अंगीकृत. अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।

संविधान में आगे चलकर स्वातंत्रय अधिकार के अनुच्छैंद 19 के प्रथम खण्ड के उपखण्ड(क) के अनुसार "सब नागरिकों को वाक्-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति-स्वातंत्रय का अधिकार होगा। इसी मूल अनुच्छेद का उपखण्ड दो भागों में बंटा हैं खण्ड(1) के उपखण्ड(क) की कोई बात अपमान लेख. अपमान वचन, मान-हानि. न्यायालय अपमान से अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले. अथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल करने -अथवा राज्य को उलटने की वृत्ति वाले विषय से जहां तक कोई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती हो वहां तक उसके प्रवर्तन का प्रभाव अथवा सम्भव रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य के लिए रुकावट न डालेगी।

सार्वजनिक हित की दृष्टि से स्वतन्त्रता पर कानूनी सीमाओं और प्रतिबन्धों के लिए संवैधानिक स्वीक्रति है-

1. न्यायालयों, संसद एव विधान मण्डलों की कोई मान-हानि न हो। कोई भी व्यक्ति बिना इरादों के भी न्यायालय की अवमानना का दोषी हो सकता है। इस दृष्टि से पत्रकारों को न्यायालय में विचारार्थ मामलों के विषय में रिपोर्ट लिखते समय उसकी सत्यता कों ध्यान में रखना चाहिए, साथ ही बडे समय से काम लेना चाहिए। विचाराधीन मामलों में पत्रकारों को साक्षियों के विषय में अपनी राय नहीं देनी चाहिए।

   हमारे संविधान में उच्च न्यायालयों को उनकी अवमानना के लिए सजा देने का अधिकार है तदनुसार 1952 में 'कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट' का नया अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम की निश्चित परिभाषा नहीं दी गई थी। अतएव सान्याल समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1971 में नया ' 'कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट " अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम 24 दिसम्बर. 1971 को लागू किया गया।

2. शिष्टाचार और सदाचार को आघात पहुँचाने वाले या धर्मों, जातियों एवं दलों के समूहो के बीच घ्रणा या शत्रुता उत्पन्न करने वाली अभिव्यक्ति पर भी प्रतिबन्ध सम्मत है। पत्रकारों को संसद या विधान मण्डल के किसी सदन या उसकी समितियों या सदस्य पर प्रकाशित टिप्पणियों के विषय में सचेत व सावधान रहना चाहिए।
3. आपत्तिजनक और अश्लील विज्ञापनों पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।
4. राज्य की सुरक्षा को क्षति पहुँचाने वाले -या राज्य को उलटने की अभिव्यक्ति भी निषिद्धात्मक है। राजद्रोह फैलाने या उकसाने वाले प्रकाशन पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। इन निषेधों को न मानने पर पत्रकार भी सजा के हकदार होंगे।
5. इन निषेधों के अलावा पत्र -पत्रिकाओं व पत्रकारों से कानून यह अपेक्षा रखता है वे लोगों की व्यक्तिगत मान -हानि न करे, मिथ्या आक्षेप न लगाये और न ही निजी जीवन की गोपनीयता का अनुचित अतिक्रमण करे।

प. नेहरू ने कहा था 'मैं दबी हुई और नियन्त्रित प्रेस की तुलना मैं स्वतन्त्रता के दुरुपयोग के तमाम खतरों के बावजूद स्वतन्त्र प्रेस ही देखना चाहूँगा। इस व्यथा के बावजूद श्री नेहरू यह जानते थे कि पत्रों और पत्रकारों के हाथों में जन- मानस को प्रभावित करने की सबसे बड़ी शक्ति है. उस पर मूलभूत मर्यादाएँ जरूरी हैं। अत : संविधान में इन्हें स्थान दिया गया।(1) पत्र एवं पत्रकार किसी की व्यक्तिगत मान-हानि न करें, मिथ्या आरोप न लगायें।(2) किसी के व्यक्ति, एकांत और निजी वातावरण की गोपनीयता का अनुचित अतिक्रमण न करें।(3) कापी-राइट के कानून का उल्लघंन न करें.(4) प्रेस संबंधी कानून के विषय मैं सजग और सचेत रहें।

भारतीय संविधान प्रेस व पत्रकारों से अपेक्षा करता है वे पत्रकारिता के राजनीतिकरण से दूर रहें। "पीत-पत्रकारिता" जैसी दूषित बातों से बचे। वे सत्य और सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए सा साहस के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करें। स्वार्थ और दंभ के लिए असत्य अर्धसत्य का सहरा न लें। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे न केवल कानून के दोषी हैं बल्कि पत्रकारिता की परम्परा के भी दोषी है। वे समाज के एक सजग सदस्य हैं. अत : उनकी सार्थता व सिद्धि प्रतिबंन्धनो मैं नही वरन उनकी सत्य निष्ठा में, निर्भीकता में. उत्तरदायी स्वातंत्रय में और जनसेवा में निहित है।

9.3.3 भारतीय प्रेस की स्वायत्तता

अपने यहाँ प्रेस इतना स्वतन्त्र रहा कि वह जो चाहे लिख सकता था। श्रीमती इन्दिरा गाँधी तो सदा यही कहती रहती थी कि प्रेस उनके पीछे पड़ा हुआ है। भारतीय प्रेस विपक्ष की भूमिका निभाता है। यह बात बहुत हद तक सत्य भी है। विभिन्न पार्टियों से जुड़े रहने के कारण भारतीय प्रेस ने वहीं भूमिका निभायी जौ विपक्ष निभाता रहा। यद्‌यपि हमारे संविधान में प्रेस की स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारों में नहीं है तथापि प्रेस बिल्कुल स्वाधीन रहा।

श्रीमती गाँधी नं जब आपातकाल की घोषणा की तब प्रेस की आजादी खतरे में पड़ गयी थी। सेंसरशिप का दौर था। हमारे प्रेस का दम घुट रहा था। सारा देश काँग्रेस के खिलाफ हो गया और जिसकी परिणति हुई 77 के चुनाव में काग्रेश की शर्मनाक पराजय। आपातकाल से

प्रेस ने एक सबक भी सीखा। उसने सरकार को निरंकुश छोडना अच्छा नहीं समझा। का प्रेस सचेत हुआ और बाद में उसने जबर्दस्त आलोचनात्मक भूमिका निभायी। लोग इसे अलग- अलग ढंग से ले रहे हैं। स्वायत्ता का एक अर्थ उभर रहा है कि सरकारी पक्ष के अंधे प्रचार से मीडिया की मुक्ति। इसी को लोग स्वायत्तता मान बैठे हैं और भावनाओं के बहाव में अन्य तमाम खतरों की ओर से बेखबर स्वायत्तता निरपेक्ष होने का मतलब है बेलगाम घोडा। वास्तव में जवाबदेही होगा उत्तरदायित्व प्रमुख तत्व है। यह जितना प्रभावशाली होगा. स्वायत्तता उतनी ही असरदार होगी। हम इसकी और से आँख मूंद बेठे हैं। 15 मार्च, 1948 को संविधान में प्रचार पर हुई बहस में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि। मेरे विचार से हमें प्रसारण के लिए बी. बी. सी. के नमूने पर आधारित व्यवस्था करनी चाहिए। बेहतर होगा कि सरकार के अन्तर्गत एक अर्द्ध स्वायत्त निगम की स्थापना करें। निश्चय ही निगम की नीति पर सरकार कर नियन्त्रण होगा. लेकिन इस निगम का कामकाज सरकारी महकमों -की तरह नहीं -चलेगा। मेरा ख्याल है कि हमारा उद्देश्य ऐसे नियम फी स्थापना होनी चाहिए, चाहे आगे उसमे कठिनाइयां आये।"

स्वायत्तता हो या स्वतन्त्रता यह तभी कारगर हो सकती है. आदर्शमय बन सकती, जब उपयोग करने वाले उसके तकाजों को भी समझें और उनके प्रति जागरूक हों। भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायतता का मुद्दा 1964 में फिर कुरेद कर उठाया गया और 4 सितम्बर. 1964 को अशोक के. चन्द्रा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई इस समिति ने आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक अलग से स्वायत्तशासी के निगम के रूप में गठित करने की सिफारिश इकाई की।

'आकाशवाणी व दूरदर्शन की सहायता की बात आने पर उन्हें लेखक पत्रकार सच्चिदानंद हीरानन्द वात्स्यायन अज्ञेय अवधारणा की इस बारे मे की गई टिप्पणी आ जाती है- ' 'प्रसारण सेवा इतनी बड़ी शक्ति है कि किसी की भी नीयत उस पर डोल सकती है। उसके दुरूपयोग का खतरा हर समय बना रह सकता है। इसे सरकारी अंकुश व स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखने के; लिए एक सुदृढ़ जागृति की आवश्यकता है। जिस तरह हम स्वाधीन स्थिति में जोखिम को पहचानते व स्वीकारते हुए स्वाधीनता चाहते उसी तरह जो इसके बावजूद है वांछनीय और उतर दायित्वपूर्ण भी। आवश्यकता इस बात की है कि सम्पूर्ण समाज की सहायता के प्रति जागरूक हो वरना अफसरशाही द्वारा इस स्वायत्तता को निगल लिये जाने का खतरा है।'

देश मे जो अन्य स्वायशाहे संगठन है उनमें स्कीम हस्तक्षेप की क्या स्थिति है?पूंजीपतियों, राजनीतिज्ञों व आला अफसरों के गठजोड़ से क्या ? की अस्मिता को बचाया जा सकता है? इस संबंध में बी. जी. वर्गीज का कहना है कि स्वायत्तशाषी दूरदर्शन की सत्यपूर्ण समितियों में सार्वजनिक जीवन से चुने गए ऐसे महत्वपूर्ण लोग होंगे, जिनको जनता का विश्वास प्राप्त होगा। माध्यम ऐसा माध्यम है कि सार्वजनिक जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा.जिसकी इस पर लार न टपके। सार्वजनिक जीवन के ही लोग आजकल सारी सुविधाओं और लागतों पर अपना कब्जा चाहते हैं।

स्वायत्तता बाहर से हस्तक्षेप करने वाली किसी भी दूसरी संस्था में स्वतन्त्र होने की स्पष्ट घोषणा है। आज इस स्वायत्तता को सरकार से स्वतंत्र रूप में देखा य रहा है। सरकार से छिटक कर आकाशवाणी व दूरदर्शन व्यापारियों आला अफसरों चालबाज. के पंजे में न पहुँच जाए, उसकी जवाब देही जनता के हाथ से न छिन जाए, इस पर बारीकी करना होगा। स्वायत्ता का मतलब तभी सिद्ध है जब जनता सवाल पूछना
जानेगी।

9.3.4 स्वातंत्रयोत्तर भारत मे आकलन

भारत में कहने को प्रेस पूरी आजाद है. लेकिन देखा जाए तो उस पर अनेक सरकारी, गैर सरकारी प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष दबाव हैं। इस तरह के अनेक उदाहरण मिल जायेंगे। जब किसी भी पत्रकार या अखबार ने सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की, उस पर हो गया है।

पिछले कुछ महीनों में पत्रकारों पर कितने हमले हुए हैं, उसने शायद कभी भी नहीं हुए होंगे। बम्बई के 'इलेस्ट्रेटेड वीकली' के नंद्री को ।इस लिए गिरफ्तार किया गया कि क्योंकि उन्होंने उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री जानकविल्लभ पटनायक ' और विकृत वृत्ति वाला व्यक्ति कहा तथा उनकी करतूतों का भंडाफोड़ किया। 'उर्दू की नई दुनिया ', के सम्पादक शाहिद सिद्दिकी को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने खालिस्तान के प्रवक्ता जगदीश का इन्टरव्यू अपने अखबार में प्रकाशित किया। सच तो यह है कि 19 और 27 नवम्बर. 1986 के अँको अपने इंटरव्यू में सिद्दिकी ने जग जीत सिंह चौहान के वक्तव्यों का समर्थन नहीं किया था,बल्कि अपने लेख मे इस तरह के विचारों के खिलाफ जनता को, विशेष रूप से मुसलमानों को, सचेत किया था कि वे लोगों के बहकावे में नहीं आए। उल्लेखनीय है कि जग जीत सिंह चौहान के इन्टरव्यू 'नई दुनिया ' पत्र -पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी और भी घटनाएँ है जो देश भर में अक्सर विशेषकर उन पत्रकारों के साथ, जो कस्बों कर गांवों में रहते है। वहां उनके सिर पर प्रशासन की तलवार. रहती है।

'पंजाब केसरी ', जलधर लाला जग नारायण की 9 सितम्बर, 1981 तथा उनके पुत्र रमेशचन्द्र की 12 मई, 1984 को उग्रवादियो ' 'प्रेस की स्वतन्त्रता " का सबसे बडा उदाहरण है। अत : हम यही कह सकते हैं कि प्रेस की स्वतन्त्रता राजनीतिक ढाचे पर निर्भर रहती है, उसके अधिकार की सीमाएं उसी के अनुरूप रहती हैं।

आज सबसे अधिक खतरा की आबादी का है। जहाँ कहीं भी सत्ता भयभीत होती है. उसका पहला आक्रमण प्रेस पर ही होता है। यह बांग्लादेश की जनरल इरशाद सरकार हो या श्रीलंका की सरकार । सोवियत संघ और चीन जैसे कम्यूनिस्ट मे भी प्रेस की स्वतन्त्रता को मान्य किया गया है। लेकिन विश्व का कोई भी देश सम्पूर्ण स्वतन्त्रता का दावा करने से आज भी नहीं है। "यूनेस्को की एक रपट के अनुसार प्रेस पूर्णतया उन विश्व का राष्ट्रों मैं भी स्वतन्त्र नहीं है. जहाँ पर स्वतंत्रता संविधान प्रदत्त है और शायद उन देशों में भी नहीं जौ 1948 की मानवाधिकार समाचार घोषणा के प्रति वचनबद्ध हैं। इस घोषणा के माध्यम से यह अभिव्यक्ति किया गया है कि सभी को अपने विचारो के प्रकट करने की स्वतन्त्रता है और अधिकार में यज्ञ स्वतन्त्रता भी

शामिल है कि हर को. बिना किसी भी प्रकार के समाचार ' की खाज कर सकता है, उसे बेच सकता है और संचार के माध्यम से दूसरों तक पहुँचा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अनेक विकासमान देशों में प्रेस की स्वतन्त्रता खतरे मे है और संस्थान के एक निदेशक के अनुसार 'मलेशिया के अखबार एक घरेलू कुते की तरह है. जो हिंसक: नहीं हो सकते और फिलीपीन्स के पत्र ऐसे कुत्ते के समान है जो भौंक सकता है लेकिन काट नहीं सकता है। बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा दक्षिण अफ्रीका में प्रेस की आजादी नाममात्र को हैं '।

सूचना के माध्यम लोकतंत्र में चौथे स्तम्भ माने जाते हैं और प्रत्येक नागरिक की इनसे अपेक्षा है कि उसे सही सूचना दें। संचार माध्यमों या समाचारपत्रों की चतुर्थ सत्ता संज्ञा की सार्थता तभी है जब वे सत्य की सूचना पाठकों को देने हैं। इस दृष्टि से अब मीडिया के दायित्व निर्वाह पर उंगलियाँ उठने लगी हैं। निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए सूचनाओं को विकृत करके, उन्हें आधे- अधूरे रूप में प्रस्तुत करके, उनमें तिल का ताड़ बनाने की कला का प्रदर्शन करके, अप्रमाणित को प्रमाणित रूप देकर जनसंचार माध्यम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे है। जिस प्रकार अभिव्यक्ति की आजादी का हमारे देश में धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है, उसी प्रकार सूचना के क्षेत्र में भी दायित्वहीन आजादी देश के लिए अनर्थकारी सिद्ध हो रही है। हम प्रतिदिन राजनीति के अपराधी करण की बात करते हैं किन्तु संचार माध्यमों के भ्रष्टाचार, अपाकरण और माफिया करण के विरुद्ध कुछ नहीं कहते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिन्ट मीडिया दोनों ही आदर्शहीन होकर तथ्य के नाम पर नंगापन. वीभत्स और कुसस्कार परोस रहे हैं। सुबह का अखबार देखिए, चोरी. डकैती, बलात्कार:. हत्याएँ, दंगे, फसाद, दुर्घटनाएँ, चरित्र हनन. अधनंगे. वीभत्स और मन के खिन्न कर देने वाले समाचारों एव दृश्यों से ये भरे होते हैं। इन त्रासद घटनाओं के अतिरिक्त भी समाज में बहुत कुछ होता है. जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता।

अमेरीका; ज़ैसे देश मैं समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता के लिए संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है. लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यही कारण है कि भारत में दूसरे उद्योगों में विद्यमान सारी दुष्प्रवृत्तियाँ इस क्षेत्र में प्रवेश कर गई हैं। जहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का प्रश्न है, लिखने. पढने, बोलने, संकेत करने. नाटक -नौटंकी, सभा -प्रदर्शन करने जैसी सभी स्वतन्त्रताएँ इसी के अधीन आती हैं। इसलिए समाचारपत्र निकालने के लिए भी कोई योग्यता नहीं निर्धारित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत मिली कोई भी स्वतन्त्रता निर्बाध नहीं है और उस पर युक्तियुक्तप्रतिबन्ध है।

हमारे संचार के जो चार प्रमुख साधन समाचारपत्र, सिनेमा. टेलीविजन और रोडियो हैं उनमें अखबार और फिल्म इण्डस्ट्री तो प्राइवेट सेक्टर मैं मालिक के इशारे और उसकी नीति पर चलती है और दूरदर्शन एव आकाशवार्णा सरकार में' बैठ लोगों की नीति पर आचरण करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे संचार माध्यम कहीं न कहीं से प्रतिबद्ध हैं। देश की पत्रकारिता यदि अपनी स्वतन्त्रता की दुदुंभी पीटती है तो यह बकवास और स्वयं को धोखा देने के बजाय और कुछ नहीं है। सूचना जैसे संवेदनशील मामले में चाहे किसी व्यक्ति का नियन्त्रण

हो अथवा किसी सत्तारूढ़ पार्टी का, हर स्थिति में यह अस्वीकार्य है। हमारे सामने समग्र संचार व्यवस्था को नियंत्रण मुक्त कराने की चुनौती है।

पत्रों की स्वाधीनता के समर्थक प. जवाहरलाल नैहरू ने 13 अगस्त. 1954 को अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्मेलन में बोलते हुए कहा था - 'स्वाधीनता के साथ-साथ उत्तरदायित्व भी हमेशा होता है। स्वाधीनता के साथ हमेशा एक शर्त होती है, एक दायित्व होता है कि क्या ऐसा लिखना राष्ट्र की स्वाधीनता के हित मैं है या एक समूह की स्वाधीनता के हित में है. या पत्रकारिता की स्वाधीनता के हित मे। इसलिए जब भी हम स्वाधीनता की बान करते हैं, हमें निर्विवाद उत्तरदायित्व पर भी विचार करना चाहिए । स्वाधीनता के साथ-साथ उत्तरदायित्व भी आता है। अगर स्वाधीनता के साथ उत्तरदायित्व की भावना न हो, तो स्वाधीनता धीरे -धीरे समाप्त हो जाती है। यह राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए भी उतना सही है. जितना कि पत्रों की स्वाधीनता के लिए या किसी अन्य समूह संगठन या व्यक्ति की स्वाधीनता के लिए।

स्वाधीनता प्रेस के लिए खतरा केवल सत्ता की और से नहीं आता बल्कि वह उसके अन्दर से भी आता है। यदि पत्रकार सत्ता का, वह चाहे आर्थिक हो या राजनैतिक, बहुत अधिक आदर करने लगें। और यदि वह अपने पेशे की निष्ठा की उपेक्षा करके लोकप्रिय बनना चाहे तो उससे भी प्रेस की स्वाधीनता खतरे में पड़ जाएगी। प्राय : स्वाधीनता का अर्थ छोटे के विरुद्ध मनमानी करने की स्वाधीनता रहा है। अभी तक हम यह समस्या नहीं सुलझा पाए कि छोटों को किस प्रकार स्वाधीनता दिलाएं। यह बात हमारी समस्त अर्थ व्यवस्था के बार में सही है और यह बात हमारे समाचारपत्रों पर भी लागू होती है। हमें इस समस्या की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

आवश्यक है कि लोकतंत्र के चौथे प्रहरी अब जागे, देश के बुद्धिजीवी साहित्यकार. समाजसेवी जागे, समाज -सुधारक जागे, देश की युवा शक्ति संगठित हो और इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ एक वैसा ही संघर्ष छेड़ दें जैसा कि अंग्रेजों के विरुद्ध गाँधीजी ने अहिंसावादी आन्दोलन चलाया था। गाँधी जी द्वारा व्यवहृत सत्याग्रह. घेराव, विरोध, बद, पिकेटिंग, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, जेल भरा आन्दोलन, अनशन को अपनाना होगा। पर इसके लिए चरित्रवान और कुशल नेतृत्व तथा निष्ठावान एव देशभक्त अनुयायियों की जरूरत होगी। इसलिए राष्ट्रीय चरित्र के अध :पतन के इस दौर में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभक्ति की मशाल जलानी होगी, अपनी खामोशी को तोड़कर आगे आकर मुखर होना होगा। संकल्प लेना होगा देश का कर्ज. देश पर मर मिटने वाले बलिदानों का कर्ज, भारतीय मनीषा और भारतीय सांस्कृतिक तथा मानसिक परम्पराओं का कर्ज और भारत माता का कर्ज उतारने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा. संकल्पबद्ध होना होगा। लोकतंत्र और जनता के हित में न्यायपालिका ने कमर कस ली है। अब पत्रकारों को अपनी कलम के तीर और तरकस से और प्रखर प्रहार करने की जरूरत है ताकी एक बार फिर इन नेताओं, भ्रष्टाचारी शासकों और प्रशासकों की सोने की लंका का विध्वंस हो सके और रावणों के इन वंशजों का अत किया जा सके।

जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस की स्वतन्त्रता पर अपने विचार बहुत साफ शब्दों मैं व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था - 'यद्यपि मैं तुम्हारे विचारों से बहुत ही तीव्र मतभेद रखता हूँ फिर

भी उन विचारों की अभिव्यक्ति के स्वातंत्रय के लिए मैं सतत संघर्ष करूँगा। ' यही सच्चे प्रजातन्त्र की निशानी है। प. नेहरू ने अखिल भारतीय समाचार सम्पादक सम्मेलन के अधिवेशन में कहा था कि ' अगर प्रेस स्वतंत्र का कुछ व्यक्तियों ने दुरुपयोग भी किया तो भी में प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए उस स्वतन्त्रता को समाप्त नहीं होने दूँगा। ' वस्तुत : प्रेस की स्वतन्त्रता मानवता की जीवंतता है जिसे कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता। विश्व मैं स्वतन्त्रता. समानता. बन्धुत्व, परोपकार, सहायता की अमरवाणी प्रेस है जिसका नियन्त्रण मुक्त होना आदर्श समाज की स्थापना को बल देना है। स्वतन्त्र प्रेस के कारण ही हम सभी सुरक्षित हैं, यह एक सार्वभौम सत्य है।

बोध प्रश्न - 2

1. प्रेस और सरकार के बीच क्या सम्बन्ध है? लिखिए ।
2. प. जवाहर लाल नेहरू ने प्रेस की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में क्या कहा ?
3. स्वातंत्रोत्तर भारत में समाचारपत्रों की स्थिति पर प्रकाश डालिए ।

9.4 सारांश

प्रेस का तात्पर्य समाचारपत्र है। समाचारपत्रों ने जनमत को प्रभावित किया है। मीडिया और समाज परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। परम्परागत माध्यम मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रानिक माध्यमों ने समाज और राष्ट्र को नियंत्रित किया है। आज मीडिया की स्वतन्त्रता अपरिहार्य है। सरकार प्रेस मालिक और अवांछित तत्वों से बाधित हुए बिना स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकाशन ही प्रेस की स्वतन्त्रता है। सूचना पाने की स्वतन्त्रता सूचित करने एव होने की स्वतन्त्रता ही लोकतन्त्र का आधार है। भारत के प्रथम पत्र के सम्पादक हिकी ने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हेतु अपने वन को गुलाम रखना श्रेयस्कर माना। जहाँ सेंसर है वहाँ स्वतन्त्रता सीमित हो जाती है। विश्व के सभी बड़े राष्ट्रों ने प्रेस की स्वतन्त्रता को प्रगति का मानक बतलाया है।

भारत में कलम के सिपाहियों ने स्वतन्त्रता की अलख जगाई। अनेक प्रतिबन्ध कानून तथा आर्डिनेसं के रहते हुए पत्रों ने अभिव्यक्ति की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया? हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को मूल अधिकार मानता है। सम्प्रति स्वार्थी तत्वों ने प्रेस को नियन्त्रित रखने का कुचक्र प्रारम्भ किया है जिसका विरोध हो रहा है। आज तो इलेक्ट्रानिक मीडिया(टी.वी. और रेडियो) की स्वायत्ता की बात सुनी जाती है। प्रसार भारती से कुछ आशाएँ जगी थी वह भी पूरी नहीं हुई है।

9.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. प्रेस विधि- डा, नन्दकिशोर त्रिखा
2. हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक - डॉ. रमेश जैन
3. आधुनिक पत्रकारिता - डॉ. अर्युन तिवारी
4. हिन्दी पत्रकारिता का वुहद इतिहास - डॉ. अर्जुन तिवारी
5. लॉ आफ द प्रेस ऑफ इण्डिया - दुर्गादास वसु
6. व्यावसायिक पत्रकारिता - डा'. रमेश जैन

9.6 निबन्धात्मक प्रश्न

1. प्रेम की स्वतन्त्रता का क्या तात्पर्य है? विस्तार से रेखांकित कीजिए।
2. 'प्रेस और सरकार पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
3. आपातकाल मैं भारतीय प्रेस की क्या स्थिति थी? लिखिए
4. प्रेस की स्वायत्तता की समीक्षा कीजिए ।
5. 'प्रसार भारती की वर्तमान स्थिति एव दशा दिशा' विषय पर एक लेख लिखिए।

छात्र टिप्पणी

छात्र टिप्पणी

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की सूची

	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
1.	स्नातक उपाधि प्रारम्भिक पाठ्यक्रम	6 माह
2.	भोजन एवं पोषण में सर्टिफिकेट	6 माह
3.	कम्प्यूटर ज्ञान एवं प्रशिक्षण का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम	6 माह
4.	सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटिंग	6 माह
5.	पंचायती राज प्रोजेक्ट में प्रमाण-पत्र	6 माह
6.	संस्कृति एवं पर्यटन में प्रमाण-पत्र	6 माह
7.	महिलाओं में वैद्यानिक बोध में प्रमाण-पत्र	6 माह
8.	राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में प्रमाण-पत्र	6 माह
9.	बी.ए.एफ./बी.सी.एफ. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	1 वर्ष
10.	एम.ए.(अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिन्दी)	2 वर्ष
11.	एम.बी.ए.	3 वर्ष
12.	पी.जी.डी.एच.आर.एम.	1 वर्ष
13.	पी.जी.डी.एफ.एम.	1 वर्ष
14.	पी.जी.डी.एम.एम.	1 वर्ष
15.	पी.जी.डी.एल.एल.	1 वर्ष
16.	टी.एच.एम.	1 वर्ष
17.	डी.एन.एच.ई.	1 वर्ष
18.	डी.सी.ओ.	1 वर्ष
19.	डी.एल.एस.	1 वर्ष
20.	डी.सी.सी.टी.	18 माह
21.	बी.जे.(एम.सी.)	1 वर्ष
22.	एम.जे.(एम.सी.)	2 वर्ष
23.	बी.लिब.	1 वर्ष
24.	पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
25.	बी.एड.	2 वर्ष
26.	पी.एच.डी.	3 वर्ष
27.	पी.जी.डी.ई.एस.डी.	1 वर्ष